



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-01032024-252525  
CG-JK-E-01032024-252525

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 129]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग  
(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 12 फरवरी 2024

क्रमांक जेआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/08.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (जेडपी) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. -

- 1.1. विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विचलन निपटान तंत्र और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
- 1.2. वाणिज्यिक व्यवस्थाओं, विचलन शुल्क, विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क और दंडात्मक कार्यवाही को छोड़कर ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

वशर्ते कि इन विनियमों के खंड (8) और (10) के तहत निर्दिष्ट वाणिज्यिक व्यवस्थाएं, और विचलन शुल्क, विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क और दंडात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, के संबंध में संबंधित प्रावधान आयोग के आदेश के माध्यम से अलग से अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होंगे।

1.3. ये विनियम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर उनके संबंधित लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में लागू होंगे।

## 2. परिभाषाएँ एवं व्याख्या -

2.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

- क. 'अधिनियम' का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है;
- ख. समय खंड में 'वास्तविक निकासी' का अर्थ है खरीदार द्वारा खींची गई बिजली, जैसा कि उचित रूप से गणना या अनुमानित किया गया है, जैसा कि इंटरफ़ेस मीटर द्वारा दर्ज की गई ऊर्जा और नुकसान के अन्य संबंधित डेटा के आधार पर विनियमन 6 में अधिक विस्तार से वर्णित है;
- ग. समय खंड में 'वास्तविक इंजेक्शन' का अर्थ है विक्रेता द्वारा उत्पादित या आपूर्ति की गई बिजली, जैसा कि उचित रूप से गणना या अनुमानित किया गया है, जैसा कि इंटरफ़ेस मीटर द्वारा दर्ज की गई ऊर्जा और नुकसान के अन्य संबंधित डेटा के आधार पर विनियमन 6 में अधिक विस्तार से वर्णित है;
- घ. 'एरिया लोड डिस्पैच सेंटर' या 'एएलडीसी' का अर्थ है एसएलडीसी के संचालन निर्देशों को पूरा करने के लिए एक लोड डिस्पैच और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित वितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित सुरक्षित केंद्र और संबंधित वितरण नेटवर्क के एकीकृत संचालन के लिए एसएलडीसी की सहायता करना;
- ङ. 'क्षेत्र समाशोधन मूल्य (एसीपी)' का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) में सभी वैध खरीद और बिक्री बोलियों पर विचार करने के बाद पावर एक्सचेंज पर स्थापित समय खंड बिजली अनुबंध की कीमत, यानी बाजार को प्रतिबंधित ट्रांसमिशन कॉरिडोर में विभाजित करना;
- च. 'लाभार्थी' यानी वह व्यक्ति है जो उत्पादन केंद्र से उत्पन्न बिजली खरीदता है;
- छ. 'खरीदार' का अर्थ है एक व्यक्ति, जो लाभार्थी और वितरण लाइसेंसधारी भी हो सकता है, जो प्रासंगिक विनियमों के अनुसार निर्धारित लेनदेन के माध्यम से बिजली खरीद रहे हैं, जिसमें अल्पकालिक ओपन एक्सेस, मध्यम अवधि ओपन एक्सेस और दीर्घकालिक एक्सेस के लिए लागू विनियम शामिल हैं;
- ज. 'केंद्रीय आयोग' का अर्थ है अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है।
- झ. 'आयोग' का अर्थ अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है।
- ञ. किसी विक्रेता के लिए समय खंड में 'विचलन' का अर्थ है उसका कुल वास्तविक इंजेक्शन घटाकर उसका कुल निर्धारित उत्पादन और एक खरीदार के लिए इसका अर्थ है उसकी कुल वास्तविक निकासी को घटाकर उसकी कुल निर्धारित निकासी।
- ट. इन विनियमों के संबंध में, 'गेमिंग' का अर्थ है विचलन शुल्क के माध्यम से अनुचित व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए किसी विक्रेता या खरीदार द्वारा घोषित क्षमता की जानबूझकर गलत घोषणा करना;
- ठ. 'ग्रिड कोड' का अर्थ अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (एच) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रिड कोड है;
- ड. 'इंटरफ़ेस मीटर' का अर्थ है समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परिभाषित इंटरफ़ेस मीटर, या कोई अन्य मीटर जो विशिष्ट स्थिति में प्रासंगिक हो सकता है;

- द. 'इंटरकनेक्शन बिंदु (अंतरसंयोजन बिंदु)' का अर्थ है, पुलिंग स्टेशन का एचवी पक्ष (पुलिंग एस/एस के एचवी पक्ष के आउटगोइंग फीडर का लाइन आइसोलेटर), जो वही स्तर होगा जिस पर एसएलडीसी को आगे प्रस्तुत करने के लिए पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों द्वारा पूर्वानुमान और शेड्यूल तैयार करने की आवश्यकता होती है;
- ण. 'अंतर-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन शुल्क' का अर्थ इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट विचलन के लिए शुल्क है;
- त. 'ओपन एक्सेस उपभोक्ता' का अर्थ एक उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी है जिसे प्रासंगिक नियमों के तहत ओपन एक्सेस प्रदान किया गया है;
- थ. 'लागू ओपन एक्सेस रेगुलेशन' का अर्थ जेईआरसी गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों (अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ट्रांसमिशन और और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 है।
- द. किसी भी समय या किसी समय खंड या किसी अवधि के लिए 'अनुसूचित उत्पादन' का अर्थ राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटा पूर्व बस में उत्पादन की अनुसूची है;
- ध. किसी भी समय या किसी समय खंड या किसी अवधि समय खंड के लिए 'अनुसूचित निकासी' का मतलब राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या मेगावाट घंटा पूर्व बस में प्रेषण की अनुसूची है;
- न. 'विक्रेता' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, जिसमें उत्पादन स्टेशन और वितरण लाइसेंस शामिल है, जो अल्पकालिक ओपन एक्सेस, मध्यम अवधि की ओपन एक्सेस और दीर्घकालिक ओपन एक्सेस के लिए लागू प्रासंगिक नियमों के अनुसार निर्धारित लेनदेन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता है;
- त. 'केंद्र शासित प्रदेश इकाई/घटक' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो एसएलडीसी नियंत्रण क्षेत्र में है और जिसकी मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर किया जाता है जैसा कि इन विनियमों के विनियमन 4 में अधिक विस्तार से वर्णित है;
- प. 'स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर' का अर्थ है अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित केंद्र, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के लिए जेईआरसी के प्रावधानों के अनुसार खरीदारों और विक्रेताओं के शेड्यूल के समन्वय के लिए जिम्मेदार है;
- फ. 'स्टेट ग्रिड' का अर्थ है अंतरराज्यीय /केंद्र शासित प्रदेश पारेषण प्रणाली/ राज्य के स्वामित्व वाला नेटवर्क/केंद्र शासित प्रदेश पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) /पारेषण लाइसेंसधारी और/या ईएचवी/उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वितरण लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाला नेटवर्क;
- ब. 'केंद्रशासित प्रदेश की परिधि' का अर्थ है, उन स्थितियों को छोड़कर, जिनमें विशिष्ट मामलों में किसी अन्य उपचार की आवश्यकता हो सकती है, सीटीयू के पारेषण प्रणाली के साथ एसटीयू के पारेषण प्रणाली के अंतरसंयोजन बिंदु; या किसी अन्य अंतरराज्यीय/केंद्रशासित प्रदेश पारेषण प्रणाली के साथ अंतरसंयोजन बिंदु जिसका स्वामित्व किसी इकाई के पास न हो; या संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं के उत्पादन बस-बार के साथ अंतरसंयोजन बिंदु जहां से एसटीयू प्रणाली के माध्यम से वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति की जाती है;
- भ. 'एसटीयू पेरीफेरी' का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली के साथ एसटीयू की पारेषण प्रणाली के बीच इंटरकनेक्शन बिंदु;
- म. 'केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)' का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।
- य. 'समय खंड' का मतलब 15 मिनट का समय खंड है, जिसके लिए निर्दिष्ट विद्युत पैरामीटर और मात्रा विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा दर्ज की जाती है, जिसमें पहली बार खंड 00.00 बजे शुरू होता है;
- र. बशर्ते कि आयोग समय-समय पर अधिसूचित तिथि से समय खंड की अवधि को 5 मिनट या किसी अन्य अवधि तक संशोधित कर सकता है;
- र. 'सप्ताह' का अर्थ है साप्ताहिक विचलन खाते तैयार करने के लिए प्रत्येक सोमवार को 00 बजे से शुरू होने वाली या उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) द्वारा गणना की गई लगातार सात दिनों की अवधि।

2.2. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम या आयोग द्वारा जारी विनियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में दिए गए हैं; यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन विनियमों या अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित और केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली उद्योग पर लागू किसी भी कानून के तहत परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें ऐसे कानून में दिए गए हैं; यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो विनियमों या अधिनियम या किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो आम तौर पर बिजली उद्योग में उन्हें दिए जाते हैं।

### 3. उद्देश्य. -

इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड के उपयोगकर्ताओं द्वारा बिजली की निकासी और इंजेक्शन के माध्यम से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ग्रिड कोड विनियम और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के तहत, विचलन निपटान के लिए वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से परिकल्पना के अनुसार ग्रिड अनुशासन और ग्रिड सुरक्षा बनाए रखना है।

### 4. विनियम का दायरा. -

4.1 ये विनियम खरीदारों और विक्रेताओं यानी वितरण लाइसेंसधारियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड से जुड़े ओपन एक्सेस ग्राहकों पर लागू होंगे:

**स्पष्टीकरण:** - वितरण लाइसेंसधारी सहित केंद्र शासित प्रदेश की इकाई बनाने वाले किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर बिजली बेचने वाले विक्रेताओं को नियमित व्यवस्था के तहत बिजली की ऐसी बिक्री के संबंध में अलग केंद्र शासित प्रदेश इकाई के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे स्रोतों से बिजली की उपलब्धता का हिसाब सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए ऐसी बिजली खरीदने वाली केंद्र शासित प्रदेश इकाई द्वारा किया जाएगा।

हालाँकि, यदि किसी विक्रेता द्वारा कुल ऊर्जा बिक्री का केवल एक हिस्सा नियमित व्यवस्था के तहत बेचा जा रहा है और शेष हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेशों की इकाई नहीं है, ऐसे विक्रेता को ऐसे शेष हिस्से की बिक्री के संबंध में एक अलग केंद्रशासित प्रदेश इकाई के रूप में माना जाएगा।

तदनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को संपूर्ण बिक्री योग्य ऊर्जा बेचने वाले उत्पादन स्टेशनों को शेड्यूलिंग और प्रेषण के उद्देश्य से केंद्रशासित प्रदेश संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाएगा।

4.2 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत अर्थात् एसएचपीएस, पवन, सौर, बायो-मास, सह-उत्पादन, बायोगैस आदि जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड से जुड़े हैं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर बिजली बेचते हैं, उन्हें ऐसे समय तक इन विनियमों से बाहर रखा जाएगा जब तक आयोग उन्हें विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के दायरे में लाने का निर्णय नहीं लेता।

हालाँकि, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ग्रिड के 11 केवी और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर पर जुड़े सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत अपना शेड्यूल एसएलडीसी को प्रस्तुत करेंगे, जिससे वह एक प्रेषण शेड्यूल तैयार कर सके।

4.3 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों सहित उत्पादन स्टेशन सीधे अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रेषण नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और केंद्रशासित प्रदेशों के बाहर बिजली की आपूर्ति करते हैं, वह लागू सीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमों द्वारा शासित होंगे।

### 5. प्रयोज्यता

5.1 ये विनियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पारेषण प्रणाली (एसटीएस में) और/या बिजली की वितरण प्रणाली (और जब ऐसी अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रणाली का उपयोग अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पारेषण के साथ संयोजन में किया जाता है) का उपयोग करके अल्पकालिक ओपन एक्सेस या मध्यम अवधि की ओपन एक्सेस या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से सुगम लेनदेन में शामिल विक्रेता(ओं) और खरीदार(ओं) पर लागू होंगे।

क) इन विनियमों के तहत विचलन निपटान तंत्र 5 मेगावाट (या ऐसी अन्य सीमा क्षमता) से ऊपर स्थापित क्षमता वाले सभी विक्रेताओं पर लागू होगा, जिसमें अंतर-राज्य /केंद्र शासित प्रदेश पारेषण प्रणाली से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर, ओपन एक्सेस जनरेटर, कैप्टिव जनरेटर (इन-सीटू कैप्टिव जनरेटर को छोड़कर) शामिल नहीं हैं।

बशर्ते, आयोग द्वारा कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर विचार करते हुए चरणों में सीमा क्षमता की सीमा में संशोधन अलग से अधिसूचित किया जाए;

ख) इन विनियमों के तहत विचलन निपटान तंत्र वितरण लाइसेंसधारकों, केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित डीमंड वितरण लाइसेंसधारकों और अंतर-राज्य /केंद्र शासित प्रदेश पारेषण प्रणाली (एसटीएस में) से जुड़े पूर्ण ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं सहित सभी क्रेताओं के लिए लागू होगा।

बशर्ते, अंतर-राज्य /केंद्र शासित प्रदेश पारेषण प्रणाली से जुड़े आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और वितरण नेटवर्क से जुड़े सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं का विचलन निपटान ओपन एक्सेस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा;

बशर्ते कि, इन एसटीएस से जुड़े पूर्ण ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और ओपन एक्सेस विनियमों के तहत अतिरिक्त बिजली का लाभ उठाने के मामले में, अतिरिक्त बिजली की अवधि के दौरान अधिक निकासी को ओपन एक्सेस नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

#### 6. विचलन निपटान तंत्र के संचालन के लिए सिद्धांत -

विचलन निपटान तंत्र की रूपरेखा में निम्नलिखित प्रमुख डिज़ाइन पैरामीटर शामिल हों: -

- क) शेड्यूलिंग अवधि;
- ख) न्यूनतम लागत प्रेषण के लिए परिसर;
- ग) आवृत्ति की संचालन सीमा;
- घ) राज्य की परिधि पर सभी संस्थाओं का समेकित शेड्यूल;
- ङ) ई) विचलन;
- च) निपटान अवधि;
- छ) राज्य विचलन पूल के लिए मापन इकाई;
- ज) विचलन पूल मूल्य वेक्टर;
- झ) विचलन आयतन सीमा;
- ञ) हानियों के आवंटन के लिए परिसर;
- ट) उत्पादन केंद्र जिन्हें इकाई नहीं माना जाता उनके द्वारा डेटा प्रस्तुत करना;
- ठ) राज्य ग्रिड के हित में गैर-मांगित अधिशेष (यूआरएस) की खरीद;
- ड) संघनन शल्क; और
- ढ) एसईएम की डाउनलोडिंग/रिकॉर्डिंग और एसएलडीसी को डेटा का समय पर संचार।

क. **शेड्यूलिंग अवधि:** शेड्यूलिंग अवधि में 96-समय खंड शामिल होंगे, प्रत्येक 15-मिनट की अवधि 00:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होकर 24:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। शेड्यूलिंग अवधि का पहला खंड 00:00 बजे (भारतीय मानक समय) से 00:15 बजे (आईएसटी) तक होगा। शेड्यूलिंग अवधि का दूसरा समय खंड 00:15 बजे (भारतीय मानक समय) से 00:30 बजे (भारतीय मानक समय) तक होगा और इसी तरह आगे भी जारी रहेगा:

बशर्ते कि इसके द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, आयोग शेड्यूलिंग अवधि को 288-समय खंडों में संशोधित कर सकता है, प्रत्येक खंड 5 मिनट की अवधि का होगा जो 00:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर 24:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगा। तदनुसार, इंटरफ़ेस मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और विचलन निपटान, 5 मिनट की अवधि में लेनदेन करने में सक्षम होने चाहिए। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए भविष्य की सभी संसाधन योजना, आईटी और संचार प्रणाली की अपेक्षाओं और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

ख. **शेड्यूलिंग और प्रेषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत:** इन विनियमों के तहत सभी विक्रेताओं और खरीदारों को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ग्रिड कोड और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार एसएलडीसी द्वारा तैयार की जाने वाली शेड्यूलिंग और प्रेषण प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उस पर शेड्यूलिंग और प्रेषण कोड निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा:

- उत्पन्नकर्ता (विक्रेताओं) द्वारा दी गई उपलब्धता और खरीदारों द्वारा पूर्वानुमानित लोड अपेक्षाओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के लिए जेईआरसी के अनुसार, एसएलडीसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ग्रिड कोड में निर्दिष्ट योग्यता आदेश सिद्धांतों या आयोग द्वारा अलग से अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थाओं के लिए अग्रिम दिन के आधार पर न्यूनतम लागत प्रेषण कार्यक्रम तैयार करेगा।
- केवल पारेषण बाधाओं और प्रणाली आपातकालीन स्थितियों के अधीन, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं के व्हीलिंग लेनदेन को अनुबंध के अनुसार भेजा जाएगा।

ग. **न्यूनतम लागत प्रेषण के लिए परिसर:** उत्पादन स्टेशनों (विक्रेताओं) द्वारा पूर्वानुमानित उपलब्धता अनुसूची और खरीदारों द्वारा पूर्वानुमानित लोड अपेक्षा के आधार पर, एसएलडीसी समय-समय पर लागू या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आयोग द्वारा अनुमोदित योग्यता क्रम सिद्धांतों के अनुसार इकाई(ओं) के लिए अग्रिम दिन के आधार पर न्यूनतम लागत प्रेषण कार्यक्रम तैयार करेगा:

बशर्ते कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं के व्हीलिंग लेनदेन को केवल प्रेषण और वितरण प्रणाली की बाधाओं और प्रणाली आपातकालीन स्थितियों के अधीन अनुबंधित के रूप में भेजा जाएगा।

घ. **आवृत्ति की ऑपरेटिंग रेंज:**

- समय खंड के लिए औसत ग्रिड आवृत्ति के लिए सामान्य ऑपरेटिंग रेंज समय-समय पर ग्रिड कोड के तहत निर्धारित सीमा (अर्थात् 49.90 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज) के अनुरूप होगी। जबकि ग्रिड कोड के अनुसार औसत आवृत्ति की सामान्य ऑपरेटिंग रेंज 49.90 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज निर्धारित की गई है, विचलन मूल्य वेक्टर को 49.85 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज की आवृत्ति रेंज के लिए विनियम 8 और 10 के तहत निर्दिष्ट किया गया है;
- जब ग्रिड आवृत्ति 49.85 हर्ट्ज से कम हो तो कोई अधिक-आहरण या कम-इंजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जब ग्रिड आवृत्ति 50.05 हर्ट्ज से ऊपर हो तो कोई कम-आहरण या अधिक-इंजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
- समय खंड के दौरान जब आवृत्ति 49.7 हर्ट्ज और उससे अधिक लेकिन 50.05 हर्ट्ज से नीचे है, तो विचलन शुल्क के भुगतान के अधीन, अतिरिक्त विचलन शुल्क के प्रयोजन के लिए +/- 12% की सीमा तक भिन्नता स्वीकार्य होगी:

बशर्ते कि, -

- किसी दिए गए समय से ठीक पहले 12 ऐसे समय खंडों के दौरान किसी इकाई द्वारा अधिक -आहरण/ कम इंजेक्शन, जिसमें आवृत्ति 49.9 हर्ट्ज से कम रही; या
- 12 ऐसे समय खंडों के दौरान किसी इकाई द्वारा कम-आहरण /अधिक इंजेक्शन के तहत, किसी भी समय से ठीक पहले, जिसमें आवृत्ति 49.9 हर्ट्ज से अधिक थी;

ऐसी इकाइयां विचलन के संकेत को उलटने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी और किसी भी इकाई द्वारा विचलन के संकेत को उलटने में बार-बार विफलता प्राप्त होने के मामले में, एसएलडीसी ऐसी स्थितियों से बचने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के अलावा, ऐसी संस्थाओं को उचित निर्देश भी जारी कर सकता है।

**स्पष्टीकरण:** 12-समय खंडों की अवधि की गणना उन समय खंडों को नजरअंदाज करने के बाद की जाएगी जिनमें आवृत्ति मद (i) या (ii) में निर्धारित सीमा से परे है।

**ड. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परिधि में सभी संस्थाओं का समेकित शेड्यूल:**

वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य संस्थाओं के इंजेक्शन/आहरण शेड्यूल, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उनके संबंधित इंजेक्शन/आहरण बिंदुओं के संदर्भ में तैयार किए जाएंगे और समग्र रूप से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए समेकित कार्यक्रम तैयार करने, लेखांकन, गणना और इन विनियमों के तहत विभिन्न शुल्कों की वसूली आदि जैसे उद्देश्यों के लिए, एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारी, जैसा लागू हो, के लागू पारेषण और वितरित घाटे को लोड करके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश परिधि में प्रक्षेपित किया जाएगा।

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से सीधे जुड़े उत्पादन स्टेशनों द्वारा अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ओपन एक्सेस के माध्यम से ऐसे उत्पादन स्टेशनों से बिजली खरीदने वाले वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री से जुड़े मामलों में, प्रवाह की सामान्य योजना के तहत एसटीयू प्रणाली को शामिल किए बिना, एसटीयू की पारेषण घाटे को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परिधि में प्रक्षेपित करने के लिए उनके संबंधित इंजेक्शन/आहरण शेड्यूल में लोड नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी अपना नेट शेड्यूल एसटीयू परिधि को देगा, जिसे एसटीयू के पारेषण घाटे को लोड करके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश परिधि में प्रक्षेपित किया जाएगा:

बशर्ते कि इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी शुल्क राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परिधि पर डेटा के आधार पर लगाए जाएंगे।

च. **विचलन:** इकाई के बीच विचलन निपटान के प्रयोजन के लिए, एसएलडीसी "विचलन पूल खाते" पर काम करेगा, जिसमें प्रत्येक इकाई के लिए अधिक-आहरण/कम-आहरण और अधिक-इंजेक्शन/ कम-इंजेक्शन शामिल होंगे, प्रत्येक शेड्यूलिंग अवधि के अनुरूप, इस सिद्धांत के अनुसार कि एक विक्रेता के लिए समय-खंड में विचलन का अर्थ कुल वास्तविक इंजेक्शन से उसकी कुल निर्धारित उत्पन्नता को कम करना है और एक क्रेता के लिए इसका अर्थ है इसके कुल वास्तविक आहरण से इसका कुल निर्धारित आहरण को कम करना है।

छ. **निपटान अवधि:** विचलन पूल खातों की तैयारी और निपटान क्षेत्रीय ऊर्जा खातों के लिए अपनाए गए तंत्र के साथ साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। एसएलडीसी ऐसे खातों के साथ विनियमन के अनुसार विस्तृत विवरण भी तैयार और जारी करेगा।

ज. **विचलन पूल खाते के लिए मापन इकाई:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विचलन पूल खाते के लिए माप, इकाई मात्रा के लिए किलोवाट घंटे (किलोवाट घंटा) होगी और मूल्य (देय और प्राप्य) के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) में होगी। ऊर्जा इकाई (किलोवाट घंटा) और मात्रा (भारतीय रुपया) के दशमलव घटक को निकटतम पूर्णांक मान तक पूर्णांकित किया जाएगा। इसके अलावा, इंटरफेस मीटर और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ऊर्जा खाता इंटरफेस बिंदुओं पर प्रतिक्रियाशील ऊर्जा विनिमय को कैप्चर करेगा, हालांकि, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा मूल्य निर्धारण ढांचे और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा विनिमय के लिए मुआवजे को अलग से निपटाया जाएगा।

झ. **विचलन पूल मूल्य वेक्टर:** इकाई(ओं) के बीच विचलन निपटान के प्रयोजनों के लिए, एसएलडीसी प्रत्येक शेड्यूलिंग अवधि के अनुरूप प्रत्येक इकाई के लिए अधिक-आहरण/कम-ड्राअल और अधिक-इंजेक्शन/कम-इंजेक्शन सहित विचलन पर काम करेगा। विचलन के शुल्क इन विनियमों के अनुसार होंगे।

ज. **विचलन मात्रा सीमा:** ग्रिड अनुशासन और ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विचलन आयतन सीमा के लिए शर्तें और ऐसी विचलन मात्रा सीमा से अधिक के परिणाम, विनियम 10 के तहत निर्दिष्ट विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने के माध्यम से लागू होंगे।

ट. **घाटे के आवंटन के लिए परिसर:** विचलन पूल लेखांकन के प्रयोजन के लिए, आयोग द्वारा अनुमोदित अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पारेषण प्रणाली हानि और वितरण हानि, उनके वास्तविक निकासी/इंजेक्शन पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश नेटवर्क का उपयोग करने वाली संस्थाओं पर लागू होगी:

बशर्ते कि राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रत्येक समय खंड के लिए वास्तविक अंतर-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पारेषण प्रणाली हानि का हिसाब रखेगा और अपनी वेबसाइट पर आयोग द्वारा अनुमोदित हानि की तुलना में 52 साप्ताहिक औसत हानियों का समाधान विवरण प्रकाशित करेगा।

ठ. **उत्पादन स्टेशनों द्वारा डेटा प्रस्तुत करना:** ऐसे उत्पादन स्टेशन जो वितरण लाइसेंसधारी को पूरी विक्री योग्य ऊर्जा बेच रहे हैं और विनियमन 4 के तहत स्पष्टीकरण के मद्देनजर अलग इकाई के रूप में नहीं माने जाते हैं, उन्हें अपने अनुमान/अनुमान और अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा प्रस्तुत करना होगा जैसा कि एएलडीसी द्वारा आवश्यक हो सकता है ताकि एएलडीसी को वितरण लाइसेंसधारी की समेकित अनुसूची तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके और ऐसे उत्पादन स्टेशनों सहित वितरण लाइसेंसधारी से संबंधित जानकारी पर एसएलडीसी को अद्यतन रखा जा सके।

ड. **राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ग्रिड के हित में यूआरएस की खरीद:** किसी भी व्यक्तिगत इकाई(ओं) के लिए 20 मेगावाट से अधिक की एक या अधिक इकाई(ओं) की उपलब्धता में अचानक गिरावट की स्थिति में, यदि संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उत्पादक ने पहले से ही कोई कदम नहीं उठाया है, या अपने कार्यक्रम को संशोधित करने का हकदार नहीं है, एसएलडीसी, ग्रिड सुरक्षा के हित में, ऐसी संस्थाओं को सूचित करते हुए, संबंधित उत्पादन स्टेशनों से ऐसे समय खंडों के लिए यूआरएस प्राप्त कर सकता है, जब उसे मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह उचित लग सकता है कि जहां तक संभव हो, केंद्रशासित प्रदेशों में कोई ऊर्जा कटौती नहीं की जानी चाहिए, और यह भी कि ग्रिड मापदंडों को अनुमेय सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए:

बशर्ते कि एसएलडीसी, इन विनियमों की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर, विभिन्न संभावित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समान प्रक्रिया विकसित करें जिसके तहत यूआरएस की व्यवस्था की जानी है और इसमें उन व्यापक सिद्धांतों को भी शामिल किया जाएगा जिनका किसी भी इकाई के लिए यूआरएस खरीदते समय पालन किया जाएगा:

बशर्ते कि एसएलडीसी द्वारा विकसित की जाने वाली एक समान प्रक्रिया में, यह उन व्यापक स्थितियों का भी वर्णन कर सकता है जिसके तहत यह उन व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए भी यूआरएस खरीद सकता है जिनकी उपलब्धता 20 मेगावाट से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि जब तक ऐसी एकसमान प्रक्रिया विकसित न हो जाए, एसएलडीसी यूआरएस की खरीद तभी करेगा, जब-

- (1) ऐसे मामलों में संबंधित इकाई के साथ पूर्व परामर्श जहां केंद्र शासित प्रदेशों की परिधि पर यूआरएस की दर 824.04 पैसे/किलोवाट के बराबर या उससे कम है; और
- (2) उन मामलों में संबंधित इकाई की सहमति प्राप्त करना जहां केंद्र शासित प्रदेशों की परिधि पर यूआरएस की दर 824.04 पैसे/किलोवाट से अधिक है:

बशर्ते कि एक से अधिक संस्थाओं की ओर से यूआरएस की खरीद करते समय, एसएलडीसी ऐसी खरीद के समय प्रत्येक ऐसी इकाई के शेयर (मात्रा और दर) को विधिवत इंगित करेगा और बाद में इसे साप्ताहिक/मासिक लेखा विवरण में भी दर्शाएगा, जिसमें इसके द्वारा प्राप्त यूआरएस की मात्रा में प्रत्येक इकाई का हिस्सा दिखाया जाएगा:



बशर्ते कि एसएलडीसी, किसी भी महीने के लिए एनआरपीसी द्वारा मासिक खातों के जारी होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर, चाहे वह अनंतिम या अंतिम या संशोधित हो, उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार, संबंधित इकाई (ओं) के बीच केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बुक की गई कुल ऊर्जा का बंटवारा करेगा।

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी, या कोई अन्य इकाई (ओं), स्वयं भी, एसएलडीसी को सूचित करके यूआरएस प्राप्त कर सकती है और उस स्थिति में एसएलडीसी उस इकाई (ओं) को ऐसे यूआरएस विधिवत आवंटित करेगा।

- ढ. **संघनन शुल्क:** यदि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (वास्तविक समय संचालन में संघनन से राहत के उपाय) विनियम, 2009 के अनुरूप केंद्रशासित प्रदेशों के वास्तविक समय व्यवहार के आधार पर एसएलडीसी द्वारा कोई संघनन शुल्क देय/प्राप्य है, तो एसएलडीसी प्रत्येक समय खंड के लिए गणना किए गए प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा विचलन के आधार पर प्रत्येक इकाई (ओं) की हिस्सेदारी दिखाते हुए साप्ताहिक लेखा विवरण में संघनन शुल्क की राशि दर्शाएगा:

बशर्ते कि एसएलडीसी एनआरपीसी से संघनन शुल्क खाता जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर संघनन शुल्क का वितरण करेगा और प्रत्येक इकाई (ओं) को एसएलडीसी द्वारा ऐसे खाते जारी करने के 7 (सात) दिनों के भीतर खाते में इंगित राशि का भुगतान करना होगा। भुगतान में किसी भी देरी को विनियम 14 के अनुसार निपटा जाएगा।

- ण. **एसईएम की डाउनलोडिंग/रिकॉर्डिंग और एसएलडीसी को डेटा का समय पर संचार:**

मीटर डेटा डाउनलोडिंग/इंटरफ़ेस विशेष ऊर्जा मीटर (एसईएम), या किसी भी अन्य मीटर की रीडिंग, जैसा कि एसएलडीसी द्वारा आवश्यक हो, पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के अधिकृत अधिकारियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, जैसा भी मामला हो साप्ताहिक आधार पर (पिछले सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को (सोमवार को 00:00 बजे से रविवार को 24:00 बजे तक) लिया जाएगा, और मंगलवार तक एसएलडीसी को इसकी आपूर्ति की जाएगी। गुणन कारक या सीटी/पीटी अनुपात सेटिंग में किसी भी बदलाव को भी दर्ज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाउनलोड किया गया डेटा और हार्डकॉपी प्रिंटआउट के साथ-साथ मुख्य, चेक एसईएम द्वारा दर्ज की गई खपत का विवरण और, वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं के मामले में, टीओडी मीटर भी संबंधित लाइसेंसधारियों के वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, जिसे इकाई के अंतरराज्यीय/केंद्रशासित प्रदेश विचलन निपटान खाते की तैयारी के लिए एसएलडीसी को भेजा जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां पारेषण लाइसेंसधारी/वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य इकाइयां, एसईएम को डाउनलोड करने/पढ़ने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करने का इरादा व्यक्त करती हैं, ऐसी इकाइयों के अधिकृत प्रतिनिधि भी कार्यवाही में जुड़े होंगे:

बशर्ते कि यदि संबंधित इकाई(ओं) का प्रतिनिधि एसईएम की ऐसी रीडिंग डाउनलोड करने/लेने के निर्धारित समय पर नहीं आता है, टी पारेषण लाइसेंसधारी/वितरण लाइसेंसधारी का प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, रीडिंग डाउनलोड करेगा/लेगा और उसे संबंधित इकाई को सूचित करते हुए एसएलडीसी को प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि एसएलडीसी सभी संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यकता के आधार पर विस्तृत निर्देश जारी कर सके।

## 7. गेमिंग की घोषणा, शेड्यूलिंग और उन्मूलन -

- 7.1. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम, 2023, और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (इंट्रा-कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ट्रांसमिशन और वितरण) विनियम, लागू और अन्य उपयुक्त नियमों के प्रावधान, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, समय-समय पर संशोधित, क्षमता की घोषणा, शेड्यूलिंग और गेमिंग के उन्मूलन के लिए लागू होंगे।

7.2. उत्पादन स्टेशन, जहां तक संभव हो, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के अनुसार राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अंतिम रूप दिए गए एक दिन पहले के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बिजली पैदा करेंगे।

बशर्ते कि संचालन के दिन उत्पादन अनुसूची में संशोधन की अनुमति, समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ग्रिड कोड) विनियम 2023 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

7.3. क्यूसीए, पूलिंग स्टेशन से जुड़े या वितरण लाइसेंसधारी को बिजली बेचने वाले सभी उत्पादक के शेड्यूल के एकत्रीकरण का समन्वय करेगा और इसे एसएलडीसी को सूचित करेगा। क्यूसीए संबंधित पूलिंग स्टेशन (स्टेशनों) से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक (ओं) की ओर से या वितरण लाइसेंसधारी को बिजली बेचने के लिए सभी वाणिज्यिक निपटान करेगा।

7.4. आयोग, स्वप्रेरणा से, या एसएलडीसी या किसी प्रभावित पक्ष द्वारा की गई याचिका पर, गेमिंग के आरोप में उत्पादक, वितरण लाइसेंसधारी, ओपन एक्सेस उपभोक्ता आदि जैसी किसी भी संस्था के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है और, यदि आवश्यक हो, आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से जांच का आदेश दे सकता है। जब उपरोक्त जांच में गेमिंग का आरोप स्थापित हो जाता है, तो आयोग अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसी संस्थाओं द्वारा प्राप्त विचलन के किसी भी शुल्क को अस्वीकार कर सकता है।

#### 8. विचलन के लिए शुल्क. -

8.1. सभी समय-खंडों के लिए विचलन शुल्क क्रेता, जो संस्थाएं हैं, द्वारा अधिक-आहरण और विक्रेता द्वारा कम इंजेक्शन के लिए देय होगा और क्रेता द्वारा कम आहरण और विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए प्राप्य होगा, और समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2014 में निर्दिष्ट विचलन शुल्क के लिए मूल्य वेक्टर पर विचार करके समय-खंड की औसत आवृत्ति पर काम किया जाएगा।

8.2. प्रत्येक समय-खंड के विचलन के लिए शुल्क, खरीदार द्वारा अधिक आहरण के लिए और विक्रेता द्वारा कम इंजेक्शन के लिए देय होगा; और क्रेता द्वारा कम आहरण के लिए और विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए प्राप्य होगा; उसपर इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नीचे तालिका -1 में निर्दिष्ट दरों पर उस समय- खंड की औसत आवृत्ति पर काम किया जाएगा:

तालिका 1: विचलन के लिए आवृत्ति-आधारित शुल्क

समय खंड की औसत आवृत्ति (हर्ट्ज)		विचलन के लिए शुल्क (पैसे/किलोवाट)
से कम	से कम नहीं	
	50.05	0.00
50.05	50.04	1x पी/5
50.04	50.03	2xपी/5
50.03	50.02	3xपी/5
50.02	50.01	4 xपी/5
50.01	50.00	पी
50.00	49.99	50.00+15xपी/16
49.99	49.98	100.00+14xपी/16
49.98	49.97	150.00+13xपी/16

49.97	49.96	200.00+12xपी/16
49.96	49.95	250.00+11xपी/16
49.95	49.94	300.00+10xपी/16
49.94	49.93	350.00+9xपी/16
49.93	49.92	400.00+8xपी/16
49.92	49.91	450.00+7xपी/16
49.91	49.90	500.00+6xपी/16
49.90	49.89	550.00+5xपी/16
49.89	49.88	600.00+4xपी/16
49.88	49.87	650.00+3xपी/16
49.87	49.86	700.00+2xपी/16
49.86	49.85	750.00+1xपी/16
49.85		800

जहां पी, पैसे प्रति किलोवाट घंटा में दैनिक सरल औसत क्षेत्र समाशोधन मूल्य (एसएएसीपी) है।

टिप्पणियाँ: -

- विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) दर वेक्टर में एक गतिशील ढलान होगी जो दैनिक आधार पर 50 हर्ट्ज (दैनिक सरल औसत एसीपी), 49.85 हर्ट्ज (₹8 प्रति यूनिट) की आवृत्ति और 50.05 हर्ट्ज (शून्य) पर पहचाने गए मूल्य बिंदुओं को जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
- 50.00 हर्ट्ज पर पावर एक्सचेंज के डीएसएम सेगमेंट में खोजे गए औसत दैनिक एसीपी के लिए लागू अधिकतम सीमा 800 पैसे/किलोवाट होगी।
- सूत्र इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि, प्रत्येक 0.01 हर्ट्ज चरण के लिए विचलन का शुल्क 50.05-50.00 हर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में '50.05 हर्ट्ज से अधिक' और '50.00 हर्ट्ज पर पहचाने गए मूल्य' पर कीमत को जोड़कर निर्धारित ढलान के बराबर होगा, और '50 हर्ट्ज से नीचे' से '49.85 हर्ट्ज से कम' आवृत्ति रेंज में '50.00 हर्ट्ज पर पहचाने गए मूल्य' और '49.85 हर्ट्ज से नीचे' की कीमत को जोड़कर ढलान का निर्धारण किया जाता है।
- किसी दिए गए दिन पर कोई व्यापार नहीं होने के कारण दैनिक एसएएसीपी की अनुपलब्धता के मामले में, तालिका -1 के अनुसार डीएसएम शुल्क निर्धारित करने के लिए अंतिम उपलब्ध दिन के दैनिक एसएएसीपी पर विचार किया जाएगा।
- विचलन मूल्य को निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा।  
बशर्ते कि,-
  - अनुसूची के 12% से अधिक के समय खंड में खरीदार द्वारा कम आहरण के लिए विचलन के शुल्क के विरुद्ध प्राप्य राशि शून्य होगी;
  - बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी के मामले में, जब एक समय खंड में अनुसूची का पूर्ण मूल्य 300 मेगावाट से कम या उसके बराबर हो, तो 36 मेगावाट से अधिक की कम आहरण के लिए विचलन का शुल्क शून्य होगा। और
  - शेड्यूल के 12% से अधिक समय खंड में विक्रेता द्वारा अधिक-इंजेक्शन के लिए विचलन के शुल्क के विरुद्ध प्राप्य राशि शून्य होगी, अशक्त बिजली के इंजेक्शन के मामले को छोड़कर, जो, जैसा भी मामला हो, इस विनियमन के उप-विनियम (3) और (4) द्वारा शासित होगा।

- 8.3. विचलन के शुल्कों की समीक्षा आयोग द्वारा समय-समय पर स्वतः संज्ञान से या एसएलडीसी से व्यापक प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जा सकती है।
- 8.4. ऐसे मामलों में जहां अशक्त बिजली के उपचार को पीपीए, या किसी अन्य समझौते में शामिल किया गया है, या ऐसी बिजली के उपचार के प्रावधान पहले से ही किसी भी नियम में प्रदान किए गए हैं, तो वह उन्हीं शर्तों या प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
- 8.5. उप-विनियम (3) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में, इकाई के वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से पहले, परीक्षण के दौरान उत्पादन इकाई या उत्पादन स्टेशन द्वारा ग्रिड में इंजेक्ट की गई अशक्त बिजली, परीक्षण के परिणामस्वरूप, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए, या आयोग द्वारा अनुमत विस्तारित समय के लिए, ग्रिड में इंजेक्ट की गई अशक्त बिजली के विचलन के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो कि भेजे गए जल/पवन/सौर/एमएसडब्ल्यू उत्पादन के मामले में ₹1.78/किलोवाट की कैप दर की सीमा के अधीन होगा।

### 9. विचलन आयतन की सीमाएँ। -

- 9.1. समय खंड के दौरान किसी भी खरीदार द्वारा बिजली का अधिक आहरण /कम आहरण उसके निर्धारित आहरण के 12% से अधिक नहीं होगा जब ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज और ऊपर" लेकिन "50.05 हर्ट्ज से नीचे" हो: बशर्ते कि ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज से नीचे" होने पर किसी भी खरीदार द्वारा बिजली के अधिक आहरण की अनुमति नहीं होगी और ग्रिड आवृत्ति "50.05 हर्ट्ज और ऊपर" होने पर किसी भी खरीदार द्वारा बिजली के कम आहरण की अनुमति नहीं होगी।
- 9.2. किसी विक्रेता द्वारा समय-खंड के दौरान बिजली का कम-इंजेक्शन/अधिक-इंजेक्शन ऐसे विक्रेता के निर्धारित इंजेक्शन के 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, जब आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज और ऊपर लेकिन 50.05 हर्ट्ज से नीचे" हो: बशर्ते कि ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज से नीचे" होने पर विक्रेता द्वारा बिजली के कम इंजेक्शन की अनुमति नहीं होगी; और जब ग्रिड आवृत्ति "50.05 हर्ट्ज और उससे अधिक" हो तो विक्रेता द्वारा बिजली के अधिक इंजेक्शन की अनुमति नहीं होगी:
- आगे बशर्ते कि परीक्षण और कमीशनिंग गतिविधियों के दौरान किसी यूनिट के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा अशक्त बिजली के किसी भी इंजेक्शन को 6 महीने से अधिक की अवधि या आयोग द्वारा अनुमत विस्तारित समय के लिए ऊपर निर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट दी जाएगी:
- बशर्ते कि स्टार्टअप गतिविधियों के लिए किसी यूनिट के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा बिजली के किसी भी आहरण को ऊपर निर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट दी जाएगी जब ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज और ऊपर" हो।

### 10. विचलन मात्रा सीमा को पार करने पर अतिरिक्त शुल्क। -

- 10.1. इन विनियमों के विनियम 8 के तहत निर्धारित विचलन के शुल्क के अलावा, ऊपर विनियमन 9 में निर्दिष्ट मात्रा सीमा से अधिक प्रत्येक समय खंड के संबंध में प्रत्येक स्लैब के लिए वृद्धिशील अधिक-आहरण के साथ-साथ बिजली के कम-इंजेक्शन के लिए विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे, जब समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति नीचे तालिका-2 में निर्दिष्ट दरों पर "49.85 हर्ट्ज और उससे अधिक लेकिन 50.05 हर्ट्ज तक" हो।

तालिका 2: विचलन मात्रा की सीमा से अधिक विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क

क्र.सं.	विचलन मात्रा	अतिरिक्त शुल्क
1.	किसी भी खरीदार द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 12% से अधिक और 15% तक बिजली के अधिक-आहरण के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए शुल्क के 20% के बराबर।
	किसी भी खरीदार द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 15% से	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप

2.	अधिक और 20% से अधिक बिजली आहरण के लिए	विचलन के लिए शुल्क के 40% के बराबर।
3.	किसी भी खरीदार द्वारा एक समय खंड में निर्धारित समय से 20% से अधिक बिजली आहरण के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए 100% शुल्क के बराबर।
4.	किसी भी विक्रेता द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 12% से अधिक और 15% तक बिजली के कम इंजेक्शन के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए शुल्क के 20% के बराबर।
4.	किसी भी विक्रेता द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 12% से अधिक और 15% तक बिजली के कम इंजेक्शन के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए शुल्क के 20% के बराबर।
5.	किसी भी विक्रेता द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 15% से अधिक और 20% तक बिजली के कम इंजेक्शन के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए शुल्क के 40% के बराबर।
6.	किसी भी विक्रेता द्वारा एक समय खंड में शेड्यूल के 20% से अधिक बिजली के कम इंजेक्शन के लिए	समय खंड की औसत ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए 100% शुल्क के बराबर।

बशर्ते कि स्टार्टअप गतिविधियों के लिए किसी इकाई के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा बिजली के किसी भी आहरण को विचलन के अतिरिक्त शुल्क लगाने से छूट दी जाएगी।

10.1. इन विनियमों के विनियम 8 के तहत निर्दिष्ट विचलन के लिए शुल्क के अलावा, विक्रेता और/या खरीदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रत्येक समय खंड के लिए बिजली के अधिक इंजेक्शन और/या कम आहरण के लिए विचलन का अतिरिक्त शुल्क देय होगा, जब ग्रिड आवृत्ति 178 पैसे प्रति किलोवाट की दर से "50.10 हर्ट्ज और उससे अधिक हो

10.2. इन विनियमों के विनियम 8 के तहत निर्धारित विचलन के शुल्क के अलावा, खरीदार और/या विक्रेता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रत्येक समय खंड के लिए बिजली के अधिक आहरण और/या कम इंजेक्शन के लिए विचलन का अतिरिक्त शुल्क देय होगा, जब ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज से नीचे" हो और उसके लिए दर "49.85 हर्ट्ज से नीचे" यानी 824.04 पैसे/किलोवाट की ग्रिड आवृत्ति के अनुरूप विचलन के लिए शुल्क के 100% के बराबर होगी।

#### 11. सीमाओं का उल्लंघन एवं अभिलेखों को वेबसाइट पर अपलोड करना। -

11.1 विनियम 8 के तहत विचलन के लिए शुल्क का भुगतान और विनियमन 10 के तहत विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क, जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट है, प्रत्येक समय खंड के लिए या इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लगाया जाएगा जिसे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 142 के तहत अधिक आहरण/कम आहरण, या कम आहरण/अधिक-इंजेक्शन की सीमा के उल्लंघन के लिए उचित माना जा सकता है।

11.2 बिजली के अधिक आहरण/ कम इंजेक्शन और कम- आहरण/अधिक-इंजेक्शन के शुल्क की गणना एसएलडीसी द्वारा की जाएगी।

11.3 एसएलडीसी, साप्ताहिक आधार पर, विचलन खातों के रिकॉर्ड तैयार करेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिसमें सभी समय खंडों के लिए प्रत्येक खरीदार और विक्रेता के लिए अधिक आहरण / कम इंजेक्शन और अधिक इंजेक्शन / कम आहरण और विचलन के लिए देय / प्राप्य शुल्क की मात्रा निर्धारित होगी, जब ग्रिड आवृत्ति अलग से "49.85 हर्ट्ज और उससे ऊपर" होगी; और "49.85 हर्ट्ज से नीचे" होगी।

11.4 एसएलडीसी आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें ग्रिड अनुशासन से संबंधित मामलों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट योग्य घटनाओं और सुझावों, यदि कोई हो, के विवरण के साथ इकाई (ओं) द्वारा बनाए गए ग्रिड व्यवहार और अनुशासन का सारांश दर्शाया जाएगा।

#### 12. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन -

इन विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी बात के बावजूद, विक्रेताओं और खरीदारों को ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड अनुशासन के हित में इंजेक्शन और आहरण पर एसएलडीसी के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

### 13. सीओडी से पहले इनफर्म पावर और स्टार्ट अप पावर का उपचार

- 13.1. परीक्षण और कमीशनिंग गतिविधियों के दौरान किसी यूनिट के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा बिजली के किसी भी अशक्त इंजेक्शन को छह महीने से अधिक की अवधि या आयोग द्वारा अनुमत विस्तारित समय के लिए ऊपर विनियमन 10 में निर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट दी जाएगी।
- 13.2. स्टार्ट-अप गतिविधियों के लिए किसी यूनिट के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा बिजली के किसी भी आहरण को विनियमन में निर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट दी जाएगी जब ग्रिड आवृत्ति "49.85 हर्ट्ज और अधिक" हो।
- 13.3. स्टार्ट-अप गतिविधियों के लिए किसी यूनिट के सीओडी से पहले उत्पादन स्टेशन द्वारा बिजली के किसी भी आहरण को विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने से छूट दी जाएगी।

### 14. विचलन निपटान तंत्र के संचालन और निगरानी के लिए रूपरेखा

- 14.1. एसएलडीसी आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित करेगा और संस्थाओं की कठिनाइयों या चिंताओं को समझने के लिए सभी संस्थाओं के साथ बातचीत करेगा। एसएलडीसी डीएसएम सॉफ्टवेयर का एक मॉक ट्रायल रन ऑपरेशन लागू करेगा और इन विनियमों के कार्यान्वयन से 12 महीने की अवधि के भीतर आयोग को परिणाम सूचित करेगा। इसके अलावा एसएलडीसी आयोग को प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद इस संबंध में प्रगति प्रस्तुत करेगा।
- 14.2. एसएलडीसी प्रत्येक इकाई के लिए कम आहरण / अधिक-इंजेक्शन के लिए निर्दिष्ट मात्रा सीमा को पार करने और अधिक- आहरण / कम-इंजेक्शन के लिए विचलन के शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की गणना के लिए अपनी वेबसाइट प्रक्रिया और पद्धतियों को विकसित और प्रकाशित करेगा।
- 14.3. बिजली के अधिक आहरण / कम-इंजेक्शन और कम-आहरण/अधिक-इंजेक्शन के शुल्क की गणना एसएलडीसी द्वारा "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऊर्जा खाते" तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के अनुसार की जाएगी।
- 14.4. एसएलडीसी, साप्ताहिक आधार पर, अविचलन खातों के रिकॉर्ड तैयार करेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिसमें सभी समय खंडों के लिए प्रत्येक खरीदार और विक्रेता के लिए अधिक आहरण/कम इंजेक्शन की मात्रा और देय/प्राप्य विचलन शुल्क की संबंधित राशि निर्दिष्ट होगी, जब ग्रिड आवृत्ति अलग से "49.85 हर्ट्ज और ऊपर" और "49.85" हर्ट्ज से नीचे होगी।

### 15. विचलन और बिलिंग के लिए शुल्क का लेखांकन। -

- 15.1. एसएलडीसी मासिक आधार पर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ऊर्जा खाते तैयार करेगा। इसके अलावा, एसएलडीसी साप्ताहिक आधार पर यह भी करेगा -
  - (i) प्रत्येक इकाई द्वारा विनियमन 8 के तहत विचलन शुल्क के लिए अलग से देय और प्राप्य राशि और विनियमन 10 के तहत विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क दिखाने वाले विवरण तैयार करे;
  - (ii) किसी भी सप्ताह के लिए, विनियम 8 और विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अनुसार एनआरएलडीसी/एनआरपीसी द्वारा उठाए गए बिल के अनुसार समग्र रूप से केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपरोक्त दो वस्तुओं में से किसी एक या दोनों के संबंध में, विचलन शुल्क के लिए विभिन्न संस्थाओं से अलग-अलग वसूली योग्य कुल राशि अलग से देय कुल राशि से कम है, तो ऐसी दो वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए प्रत्येक इकाई से वसूली योग्य राशि, विनियम 8 और विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अनुसार प्रत्येक इकाई से वसूली योग्य राशि के अनुपात में बढ़ाई जाएगी, ताकि उपरोक्त दो मदों में से प्रत्येक के संबंध में ऐसी कमी को पूरी तरह से शामिल किया जा सके;

- (iii) ऐसे विवरण में अन्य अपेक्षित विवरण प्रतिबिंबित करें जिन्हें वह उचित समझे;
- (iv) निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से खातों/भुगतान विवरण को तैयार करने और प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त प्रारूप तैयार करे; और
- (v) एनआरएलडीसी/एनआरपीसी द्वारा बिल जारी करने के 3 दिनों के भीतर, पिछले रविवार की आधी रात को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि के लिए सभी संस्थाओं को साप्ताहिक आधार पर विचलन शुल्क के विवरण और उपरोक्त अन्य विवरण भेजना, जैसा कि इसके द्वारा तैयार किया गया है।
- 15.2. एसएलडीसी अपनी संस्थाओं पर साप्ताहिक बिल भी तैयार करेगा और जारी करेगा, जिसमें विनियम 6 के तहत खंड (एन) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को विचलन शुल्क के साथ-साथ विचलन, संघनन शुल्क, यदि कोई हो, के लिए अतिरिक्त शुल्क, और उप-विनियम (1) के तहत मद (ii) के अनुसार कमी के कारण समायोजन सहित उचित विवरण दिखाते हुए कोई अन्य शुल्क, प्रत्येक मद के संबंध में अलग से, जैसे कि विनियमन 8 के तहत शुल्क और विनियम 10 के अंतर्गत तीन उप-विनियमों में से प्रत्येक के संबंध में शुल्क भी शामिल है।
- 15.3. विनियमों के तहत लगाए गए विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क और देर से भुगतान के लिए प्राप्त ब्याज, यदि कोई हो, सहित विचलन शुल्क के सभी भुगतान "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाता" नामक निधि में जमा किए जाएंगे जिसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा खोला, बनाए रखा और संचालित किया जाएगा:
- बशर्ते कि,-
- (i) आयोग, आदेश द्वारा, किसी अन्य इकाई को "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाता" संचालित करने और बनाए रखने का निर्देश दे सकता है; और
- (ii) विचलन के लिए शुल्क के मूल घटक और ब्याज घटक और विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क के प्रत्येक घटक के लिए एसएलडीसी द्वारा खातों की अलग-अलग पुस्तकें रखी जाएंगी।
- 15.4. "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में प्राप्त सभी भुगतान साप्ताहिक आधार पर निम्नलिखित अनुक्रम में विभाजित किए जाएंगे, अर्थात्: -
- (i) सबसे पहले किसी भी लागत या व्यय या विचलन के लिए शुल्क की वसूली पर किए गए अन्य शुल्क के लिए।
- (ii) यदि लागू हो तो आगे बकाया राशि या दंडात्मक ब्याज के लिए।
- (iii) आगे सामान्य ब्याज के लिए।
- (iv) विचलन के लिए शुल्क, विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क और संघनन शुल्क के लिए।
- (v) अंत में, विनियम 15 के उप-विनियम (15.4) के तहत संबंधित इकाई से एसएलडीसी द्वारा वसूली योग्य डिफॉल्ट राशि की ओर, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एसएलडीसी को मामला भेजे जाने की तारीख से शुरू होने वाली प्रासंगिक समय सीमा के संबंध में।
- 15.5. "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में प्राप्त राशि का उपयोग एसएलडीसी द्वारा विचलन शुल्क के लिए समेकित बिल के भुगतान के लिए, समग्र रूप से केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वितरण लाइसेंसधारी/एसएलडीसी पर एनआरएलडीसी/एनआरपीसी द्वारा लगाए गए विचलन और संघनन शुल्क के लिए अतिरिक्त शुल्क के लिए, और किसी अन्य यूटी संस्थाओं को भुगतान करने के लिए भी, जो उप-विनियम (1) के तहत जारी खातों के विवरण के अनुसार इसके हकदार हो सकते हैं के लिए किया जाएगा।
- बशर्ते, जैसा कि विनियम 15 में प्रावधानित है, "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में अधिशेष शेष, यदि कोई हो, उक्त खाते में रखा जाएगा और समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित/निर्देशित तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा।

- 15.6. यूआरएस की आपूर्ति के कारण वितरण लाइसेंसधारी को एनआरएलडीसी/एनआरपीसी उत्पादन स्टेशनों द्वारा बिल की गई राशि का भुगतान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा, जो, बदले में, उप-विनियमन (15.1) के अनुसार एसएलडीसी द्वारा जारी खातों के विवरण के अनुसार अन्य संस्थाओं की ओर से खरीदे गए यूआरएस की सीमा तक अन्य संस्थाओं से इसकी वसूली करेगा।
- 15.7. उप-विनियम (6) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जारी किए गए बिलों का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा ऐसे बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा देर से भुगतान के लिए विनियम 15 में निर्दिष्ट दर पर ब्याज देय होगा:

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी भी बिल का भुगतान ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 120 दिनों की समाप्ति के बाद भी नहीं किया जाता है, तो वितरण लाइसेंसधारी मामले को एसएलडीसी को संदर्भित कर सकता है, जो इस विनियम के उप-विनियम (4) के अंतर्गत उपयुक्त प्राथमिकता आवंटित करके, या एलसी संचालित करके या अन्यथा और उस तारीख से शुरू होने वाली देर से भुगतान के लिए ब्याज के साथ वसूल की गई राशि या जिस तारीख को यह मूल रूप से देय था, जिसे वितरण लाइसेंसधारी के खाते में जमा किया जाना है, को 15 दिनों की अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तारीख से शुरू होकर भुगतान/निपटान की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए ब्याज सहित इसे चूककर्ता इकाई से वसूल करेगा।

**16. ओपन एक्सेस ग्राहक जो वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा उपभोक्ता भी हैं, के लिए विशेष प्रावधान।**

ओपन एक्सेस ग्राहकों के मामले में, जो वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा उपभोक्ता भी हैं, निम्नलिखित विशेष प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्: -

- 16.1. एक उपभोक्ता जो अपनी आवश्यकता का कुछ हिस्सा ओपन एक्सेस के माध्यम से पूरा करता है और शेष वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के माध्यम से पूरा करता है, वह ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की खरीद के बावजूद अपनी स्वीकृत अनुबंध मांग के भीतर कुल बिजली लेने का हकदार होगा। हालाँकि, जहां उपभोक्ता ने आपूर्ति संहिता और प्रासंगिक टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार कुल स्वीकृत संपर्क मांग के भीतर अस्थायी रूप से अपनी अनुबंध मांग को संशोधित किया है, वह ऐसी संशोधित संपर्क मांग के भीतर ही बिजली लेने का हकदार होगा जब तक कि वह अनुबंध मांग को और संशोधित नहीं करता है। यदि उपभोक्ता अपनी स्वीकृत संपर्क मांग से अधिक बिजली लेना चाहता है, तो उसे आपूर्ति संहिता के प्रावधानों और समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसार अपनी स्वीकृत संपर्क मांग में वृद्धि करानी होगी;
- 16.2. टैरिफ आदेश की प्रासंगिक अनुसूची के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की खरीद के बावजूद स्वीकृत अनुबंध मांग/संशोधित अनुबंध मांग पर मांग शुल्क देय होगा। पीक लोड घंटों (₹. /किलोवोल्ट-एम्पीयर/माह) के दौरान औसत मांग पर अतिरिक्त शुल्क बिलिंग माह के संबंध में पीक लोड घंटों के दौरान कुल खपत के आधार पर भी देय होगा, भले ही ओपन एक्सेस या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कुछ भी हो;
- 16.3. अल्पावधि ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को केवल ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की निकासी के लिए शेड्यूल प्रस्तुत करना होगा और वितरण लाइसेंसधारी के सामान्य उपभोक्ता के रूप में बिजली की निकासी के लिए किसी शेड्यूल की आवश्यकता नहीं होगी;
- 16.4. बिलिंग माह में विभिन्न टैरिफ खंडों (यानी पीक, रात और सामान्य घंटों) के लिए उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई कुल निकासी को संबंधित समय खंडों में उपभोक्ता द्वारा वास्तविक निकासी के बावजूद, लेकिन आगामी मद के तहत प्रावधानों के अधीन, ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत शेड्यूल के अनुसार बिलिंग माह में संबंधित टैरिफ ब्लॉकों में विभिन्न समय खंडों के लिए कुल निर्धारित पात्रता से कम किया जाएगा।  
शेष ऊर्जा को आयोग के प्रासंगिक टैरिफ आदेश के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की गई माना जाएगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि यदि ऐसी संतुलन ऊर्जा की मात्रा किसी भी समय खंड में नकारात्मक अंक तक काम करती है, उस समय खंड में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की गई ऊर्जा को शून्य



माना जाएगा और उस समय खंड के लिए शेष असमायोजित ऊर्जा को आगामी मद के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यदि बिलिंग अवधि के दौरान किसी भी समय, ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत कुल निकासी, स्वीकृत अनुबंध मांग या लागू अनुबंध मांग से अधिक हो जाती है, तो इस तरह के अधिक आहरण को टैरिफ की सामान्य अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध की मांग का उल्लंघन माना जाएगा और टैरिफ की अनुसूची के अनुसार ऊर्जा शुल्क के अतिरिक्त अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क भी तदनुसार वसूला जाएगा;

- 16.5. समय खंड के मामले में जहां उपभोक्ता की कुल दर्ज निकासी उस समय ब्लॉक में उपभोक्ता की निर्धारित पात्रता से कम है, एसएलडीसी अपने खातों में उपभोक्ता द्वारा इस तरह की कम निकासी का हिसाब रखेगा और विनियम 8 और 10 के तहत उस उपभोक्ता द्वारा देय/प्राप्य राशि की अलग से गणना करेगा। एसएलडीसी द्वारा गणना की गई देय/वसूली योग्य राशि उपभोक्ता द्वारा खुदरा टैरिफ के तहत उस उपभोक्ता के लिए मासिक बिलिंग को शामिल किए बिना सीधे एसएलडीसी को/से भुगतान योग्य/वसूली योग्य होगी। वितरण लाइसेंसधारी मासिक बिलों में इस संबंध में कोई समायोजन नहीं करेगा। हालाँकि, उपभोक्ता ऐसे किसी भी कम निकासी के कारण मांग शुल्क में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा;
- 16.6. हालाँकि, उपभोक्ता आपूर्ति संहिता और आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश की प्रासंगिक अनुसूची द्वारा शासित होते रहेंगे; और
- 16.7. ऊर्जा लेखांकन, समायोजन और बिलिंग के प्रयोजनों के लिए, वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के लिए ओपन एक्सेस के तहत अनुसूचित ऊर्जा ( किलोवोल्ट-एम्पीयर घंटा में गणना), जैसा कि उस उपभोक्ता को आपूर्ति के बिंदु पर अनुमानित किया गया है, प्रत्येक 15 मिनट के समय खंड के लिए विशेष ऊर्जा मीटर डेटा से दर्ज/गणना के अनुसार वास्तविक औसत पावर फैक्टर को अपनाकर किलोवोल्ट-एम्पीयर घंटा में परिवर्तित किया जाएगा।

### 17. विचलन के लिए शुल्क के भुगतान की अनुसूची। -

- 17.1. विचलन के लिए शुल्क का भुगतान, विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क, कंजेशन शुल्क या एसएलडीसी के बयान के अनुसार देय किसी भी अन्य शुल्क को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और संबंधित खरीदार/विक्रेता को एसएलडीसी द्वारा विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क सहित विचलन के लिए शुल्क का विवरण जारी होने के 7 (सात) दिनों के भीतर "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा।
- 17.2. यदि विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क, कंजेशन शुल्क या किसी अन्य शुल्क सहित विचलन के शुल्क के भुगतान में दो दिन से अधिक की देरी होती है, यानी, एसएलडीसी द्वारा बिल जारी करने की तारीख से नौ (9) दिनों के बाद, चूककर्ता खरीदार/विक्रेता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
- 17.3. विचलन के शुल्क के कारण किसी भी राशि को प्राप्त करने के हकदार खरीदार/विक्रेता को सभी भुगतान "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में भुगतान प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर किए जाएं, जिसके बाद खरीदार/विक्रेता विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का भी हकदार होगा:
- बशर्ते कि -
- (i) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विचलन पूल खाते में विचलन के लिए शुल्क और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान में बिल जारी होने की तारीख से 9 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, खरीदार (ओं)/विक्रेता(ओं) को जिन्हें विचलन या उस पर ब्याज के लिए भुगतान प्राप्त करना है, उन्हें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विचलन पूल खाते में उपलब्ध शेष राशि, यदि कोई हो, से भुगतान किया जाएगा। यदि उपलब्ध शेष राशि ऐसे खरीदार/विक्रेता को भुगतान पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विचलन पूल खाते से भुगतान विनियम 15 में निर्दिष्ट निधि में उपलब्ध शेष राशि से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा; और

- (ii) "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" के भुगतान में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का देयता तब तक बना रहेगा जब तक कि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है; इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि खरीदार/विक्रेता जिसे भुगतान प्राप्त करना है, उन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" से भुगतान किया गया है।

17.4. विनियम 15 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी अन्य संस्था से वसूली योग्य राशि के भुगतान में चूक के मामले में, एसएलडीसी द्वारा इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार विचलन शुल्क और विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार ही चूककर्ता संस्थाओं से ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली की जाएगी। इस उद्देश्य से, एसएलडीसी विनियम 15 के उप-विनियम (4) के तहत साप्ताहिक/मासिक आधार पर इस राशि को प्राथमिकता देगा, जो उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन इन प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मामला एसएलडीसी को भेजा जाता है। ऐसी राशि, चूककर्ता इकाई(ओं) से वसूली पर, वितरण लाइसेंसधारी के खाते में जमा की जाएगी।

17.5. सभी खरीदार/विक्रेता, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, इन विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क सहित विचलन के लिए शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे, उन्हें वित्तीय वर्ष के 14 अप्रैल से पहले एसएलडीसी के पक्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में विचलन के लिए औसत देय साप्ताहिक देयता के 110% के बराबर साख पत्र (एलसी) खोलने की आवश्यकता होगी:

बशर्ते कि -

- (i) यदि कोई खरीदार /विक्रेता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय तक विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क सहित विचलन के लिए शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पहले से खोले गए एलसी की राशि को बढ़ाने या चालू वित्तीय वर्ष के लिए औसत साप्ताहिक देयता के 110% के बराबर राशि के लिए, जैसा भी मामला हो, एक नया एलसी खोलने की आवश्यकता होगी; और
- (ii) वर्ष के दौरान किसी भी सप्ताह में विचलन के लिए एलसी राशि को देय साप्ताहिक देयता के 110% तक बढ़ाया जाएगा, यदि यह पिछली एलसी राशि से 50% से अधिक हो;

चित्रण: यदि 2018-19 के दौरान किसी खरीदार/विक्रेता की विचलन के लिए औसत देय साप्ताहिक देयता ₹20 करोड़ है, तो खरीदार/विक्रेता 2019-20 में ₹22 करोड़ के लिए एलसी खोलेगा। यदि 2019-20 में किसी भी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक देय देयता ₹35 करोड़ है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की औसत देय साप्ताहिक देयता ₹30 करोड़ से 50% से अधिक है, तो खरीदार/विक्रेता ₹16.5 करोड़ जोड़कर एलसी राशि को ₹38.5 करोड़ (1.1\* 35.0) तक बढ़ा देगा।

17.6. विचलन के लिए शुल्क का विवरण जारी होने की तारीख से 9 दिनों के निर्दिष्ट समय के भीतर "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विचलन पूल खाते" में भुगतान करने में विफलता के मामले में, एसएलडीसी डिफॉल्ट की सीमा तक खरीदार/विक्रेता के एलसी को भुनाने का हकदार होगा और खरीदार/विक्रेता को 3 दिनों के भीतर एलसी राशि की वसूली करनी होगी।

## 18. विचलन के माध्यम से एकत्रित निधि का अनुप्रयोग। -

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विचलन पूल खाते में प्रत्येक वर्ष के जून और दिसंबर के अंतिम दिनों में, या ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है, अधिशेष राशि, यदि कोई हो, को एक अलग निधि अर्थात् "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड" में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिसे एसएलडीसी द्वारा खोला, संचालित और रखरखाव किया जाए। निधि का उपयोग इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से या समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित/निर्देशित तरीके से केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली प्रणाली के विकास से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

बशर्ते कि एसएलडीसी प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई और 31 जनवरी को आयोग को अर्धवार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें उक्त निधि में लेनदेन और उक्त निधि के उपयोग के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो, का उल्लेख होगा।

### 19. ढील देने की शक्ति -

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और छूट दिए जाने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को स्वप्रेरणा से या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर ढील दे सकता है।

### 20. निर्देश जारी करने की शक्ति. -

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग अपने स्वयं के अनुरोध पर या किसी प्रभावित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

### 21. संशोधन करने की शक्ति. -

आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में बदलाव, परिवर्तन, संशोधन या सुधार कर सकता है।

### 22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति -

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

### 23. अधिभावी प्रभाव -

इन विनियमों के प्रावधान, आयोग के किसी भी अन्य विनियमों में, कुछ समय के लिए लागू होने पर या ऐसे किसी भी विनियमों के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण/विस्तृत प्रक्रिया में निहित किसी भी असंगतता के बावजूद, अप्रभावी प्रभाव डालेंगे।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी.के. धर, (जेकेएस) सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./783/2023-24]

## JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FOR THE UT OF J&K AND THE UT OF LADAKH)

### NOTIFICATION

Jammu, 12th February, 2024

**No. JERC-JKL/Reg/2024/08.**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (zp) of sub-section (2) of Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations, namely:

#### 1. Short title and commencement. -

- 1.1. These regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Deviation Settlement Mechanism and other Related Matters) Regulations, 2024.
- 1.2. These Regulations except commercial arrangements, Deviation Charges, Additional Charges for Deviation, and penal action shall come into force on the date of notification of these Regulations in the Official Gazette.

Provided that the commercial arrangements specified under Clause (8) and (10) of these Regulations, and the related provisions regarding Deviation Charges, Additional Charge for Deviation, and penal actions if any, shall come into force from the date to be notified separately through the order of the Commission.

1.3. These Regulations shall be applicable to the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh in their respective Licensed areas.

## 2. Definitions and Interpretation -

2.1. In these regulations, unless the context otherwise requires. -

- a) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- b) **'Actual Drawal'** in a time-block means electricity drawn by a buyer, as computed or projected appropriately, as described in more detail in regulation 6, on the basis of the energy recorded by the Interface meters and other related data of losses;
- c) **'Actual injection'** in a time-block means electricity generated or supplied by the seller, as the case by, as computed or projected appropriately, as described in more detail in regulation 6, on the basis of the energy recorded by the Interface meters and other related data of losses;
- d) **'Area Load Despatch Centre' or 'ALDC'** means a Load Despatch to carry out the operating directives of the SLDC and assist the SLDC for safe Centre established by the distribution licensee operating in the UTs and integrated operation of the concerned distribution network;
- e) **'Area Clearing Price (ACP)'** means the price of a time block electricity contract established on the Power Exchange after considering all valid purchase and sale bids in a particular area(s) aftermarket splitting, i.e. dividing the market across constrained transmission corridor(s);
- f) **'Beneficiary'** means the person purchasing electricity generated from a generating station;
- g) **'Buyer'** means a person, including beneficiary and distribution licensee purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the relevant regulations, including those applicable for short-term open access, medium-term open access, and long-term access;
- h) **'Central Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
- i) **'Commission'** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh referred to in sub-section (1) of section 82 of the Act.
- j) **'Deviation'** in a time block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal.
- k) **'Gaming'** in relation to these regulations, shall mean an intentional mis-declaration of declared capacity by any seller or buyer in order to make an undue commercial gain through a Charge for Deviations;
- l) **'Grid Code'** means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- m) **'Interface meters'** means interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time, or any other meter as may be relevant in the specific situation;
- n) **'Interconnection Point'** means the HV side of the pooling station (line isolator of the outgoing feeder of the HV side of the pooling S/S), which shall be the same level at which forecast and schedule need to be prepared by wind and solar generating stations for onward submission to SLDC;
- o) **'Intra-State/UT Deviation Charges'** mean charges for deviation as specified by these regulations;
- p) **'Open Access Consumer'** means a consumer, trader, distribution licensee or generating company who has been granted Open Access under relevant regulations;
- q) **'Applicable Open Access Regulations'** means the JERC Goa and UTs (Connectivity and Open Access in Intra-State/UT Transmission and Distribution) Regulations, 2017.
- r) **'Scheduled generation'** at any time or for a time block or any period means the schedule of generation in MW or MWh ex-bus given by the State Load Despatch Centre;
- s) **'Scheduled drawal'** at any time or for a time block or any period time block means schedule of despatch in MW or MWh ex-bus given by the State Load Despatch Centre;
- t) **'Seller'** means a person, including a generating station and distribution license, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the relevant regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term open access;
- u) **'UTs Entity/Constituent'** means such a person who is in the SLDC control area and whose metering and energy accounting is done at the UTs level and as described in more detail in regulation 4 of these regulations;
- v) **'State Load Despatch Centre'** means the centre established under sub-section (1) of section 31 of the Act, responsible for coordinating the scheduling of the buyers and the sellers in accordance with the provisions of the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations, 2023;
- w) **'State Grid'** means the Intra-State/UT Transmission System/ network owned by the State/UT Transmission Utility (STU)/transmission licensee(s) and/or the EHV/High Voltage Distribution System/ network owned by the distribution licensee(s) within the UTs;
- x) **'UTs Periphery'** means, except in situations which may warrant any other treatment in specific cases, the

interconnection points of the transmission system of the STU with the transmission system of the CTU; or with any other inter-state/UT Transmission system not owned by any Entity; or with the generation bus-bar of the joint sector projects from where power is supplied to the distribution licensee through the STU system;

- y) **‘STU Periphery’** means the interconnection point between the transmission system of the STU with the distribution system of the distribution licensee;
- z) **‘UTs’** means Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.
- aa) **‘Time-block’** means a time block of 15 minutes, for which specified electrical parameters and quantities are recorded by special energy meter, with first time block starting at 00.00 hrs.:
- bb) Provided that the Commission may revise the duration of the time block to 5 minutes, or any other duration, from the date to be notified by it from time to time;
- cc) **‘Week’** means a period of seven continuous days beginning at 00 hrs. of each Monday or as reckoned by the Northern Regional Power Committee (NRPC) for preparing weekly deviation accounts.
- 2.2. The words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act or the regulations issued by the Commission, shall have the meanings assigned to them in the Act or in such regulations issued by the Commission; the words and expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Act, but defined under any law, passed by a competent Legislature and applicable to the electricity industry in the UTs, shall have the meanings assigned to them in such law; the words and expressions used herein, but not specifically defined in the regulations or in the Act or any law passed by a competent Legislature, shall have the meanings as are generally assigned to them in the electricity industry.

### 3. Objective. -

The objective of these regulations is to maintain grid discipline and grid security as envisaged, under the Central Electricity Regulatory Commission Grid Code Regulations and Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations, 2023 in force through the commercial mechanism for Deviation Settlement through drawal and injection of electricity by the users of the grid.

### 4. Scope. -

- 4.1. These regulations shall be applicable to the buyers and the sellers i.e. the distribution licensee(s), State/ UTs Sector Generating Stations and Open Access Customers connected to the State/UT Grid:

**Explanation: -** The sellers selling power to a person forming the UTs Entity, including the distribution licensee, on regular basis shall not be considered as separate UTs Entity in relation to such sale of power under regular arrangement and the availability of power from the such sources shall be accounted for by the UTs Entity purchasing such power for all intents and purposes. However, in case only a part of the total energy sales by a seller is being sold under regular arrangement and balance part is sold to any other person, not forming a UTs Entity of the UTs, such seller shall be considered as a separate UTs Entity in relation to sale of such balance portion. Accordingly, the generating stations selling the entire saleable energy to the distribution licensee shall not be treated as the UTs Entities for the purpose of scheduling and dispatching.

- 4.2. Renewable Energy Generation Sources namely SHPS, Wind, Solar, Bio-mass, Cogeneration, Biogas etc. connected to the State/UT Grid and selling power within or outside the State/UT are excluded from these Regulations till such time the Commission decides to bring them under the ambit of Deviation Settlement Mechanism (DSM). However, all Renewable Energy Generation Sources connected at 11 kV and above the voltage level of the State/UT Grid shall submit their schedule to SLDC enabling it to prepare a despatch schedule.
- 4.3. The Generating Stations including Renewable Energy Generation Sources directly connected to the Inter-State/UT Transmission network and supplying power outside the UTs shall be governed by CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, in force.

### 5. Applicability

- 5.1 These Regulations shall apply to the Seller(s) and Buyer(s) involved in the transactions facilitated through short-term open access or medium-term open access or long-term access using intra-State/UT transmission system (InSTS) and/or distribution system of electricity (and when such Intra-State/UT system is used in conjunction with Inter-State/UT Transmission System), subject to the following conditions:
- a) Deviation Settlement Mechanism under these Regulations shall be applicable for all Seller(s) having installed capacity above 5 MW (or such other threshold capacity), excluding renewable energy generators, open access generators, captive generators (excluding in-situ captive generators) connected to intra-State/UT transmission system;
- A Provided that, the revision in the threshold capacity limit shall be separately notified by the Commission in stages considering implementation issues;
- b) The Deviation Settlement Mechanism under these Regulations shall be applicable for all Buyer(s) including distribution licensee(s), deemed distribution licensee(s) located in the UTs and full open access consumers

connected to intra-State/UT Transmission System (InSTS);

- B Provided that, Deviation Settlement of partial open access consumers connected to the Intra-State/UT Transmission System and all open access consumers connected to the distribution network shall be in accordance with the provisions of the Open Access Regulations;
- C Provided further that, in case of full open access consumers connected to InSTS and availing standby power under Open Access Regulations, the over drawal during the period of standby power shall be dealt as per the Open Access regulations.

**6. Principles for Operationalizing Deviation Settlement Mechanism. -**

The framework for the Deviation Settlement Mechanism shall cover the following key design parameters: -

- a) Scheduling period;
- b) Premise for least cost despatch;
- c) Operating range of frequency;
- d) Consolidated scheduling of all the Entities at the State periphery;
- e) Deviation;
- f) Settlement period;
- g) Measurement unit for State Deviation Pool;
- h) Deviation Pool Price Vector;
- i) Deviation Volume Limit;
- j) Premise for allocation of losses;
- k) Submission of data by the generating station not considered as the Entities;
- l) Procurement of un-requisitioned surplus (URS) in the interest of the State Grid;
- m) Congestion Charges; and
- n) Downloading/recording of SEMs and timely communication of data to the SLDC.

- a) **Scheduling Period:** The scheduling period shall comprise of 96-time blocks, each of 15-minute duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). The first-time block of scheduling period shall commence from 00:00 hours (IST) to 00:15 hours (IST), second time block of scheduling period shall commence from 00:15 hours (IST) to 00:30 hours (IST) and so on:

Provided that from the date to be notified by it, the Commission may revise the scheduling period to 288-time blocks, each of 5-minute duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). Accordingly, the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation Settlement should be capable to undertake transactions with 5-minute duration. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development shall be undertaken to cater to this requirement.

- b) **Guiding Principles for Scheduling and Despatch:** All the Sellers and Buyers under these Regulations shall be guided by the scheduling and despatch procedure to be formulated by the SLDC in accordance with the provisions of the State/UT Grid Code and amendments thereof. The scheduling and despatch code thereon shall be governed by the following principles:
- i. Based on the availability given by generators (Sellers) and load requirement forecasted by Buyers, the SLDC shall draw up the least cost despatch schedule on Day Ahead basis for the Entities in accordance with the merit order principles as specified in the State/UT Grid Code or the guidelines as may be approved by the Commission separately, if required, in accordance with the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations, 2023.
  - ii. Wheeling transactions of captive users and open access consumers shall be despatched as contracted, subject only to transmission constraints and system emergency conditions.
- c) **Premise for least cost despatch:** Based on the availability schedule forecasted by generating stations (Sellers) and load requirement forecasted by Buyers, the SLDC shall draw up the least cost despatch schedule on Day Ahead basis for the Entity(ies) in accordance with the merit order principles as applicable, or approved by State/UT Commission, from time to time:

Provided that wheeling transactions of captive users and open access consumers shall be despatched as contracted subject only to transmission and Distribution system constraints and system emergency conditions.

- d) **Operating Range of frequency:**
- i. The normal operating range for average grid frequency for the time block shall be in line with the range stipulated under Grid Code from time to time (viz. 49.90 Hz to 50.05 Hz). While the normal operating range of average frequency as per Grid Code has been stipulated as 49.90 Hz to 50.05 Hz, the deviation price vector has been specified under Regulations 8 and 10 for the frequency range of 49.85 Hz to 50.05 Hz;

- ii. No over-drawal or under-injection shall be allowed when grid frequency is below 49.85 Hz and no under-drawal or over-injection shall be allowed when grid frequency is above 50.05 Hz; and
- iii. During the time blocks when frequency is 49.7 Hz and above but below 50.05 Hz, the variation to the extent of +/- 12 % shall be permissible for the purpose of additional deviation charges, subject to payment of deviation charges:

Provided that in case of, -

- a) Over drawal/under injection by an Entity(ies) during 12 such time blocks, immediately preceding any given time, in which the frequency remained less than 49.9 Hz; or
  - b) Under drawal/over injection by an Entity(ies) during 12 such time blocks, immediately preceding any given time, in which the frequency was more than 49.9 Hz;
- Such Entity(ies) shall take immediate steps, to reverse the sign of deviation and in case of repeated failures by any Entity(ies) to reverse the sign of deviation, the SLDC may also issue appropriate directions to such Entity(ies), apart from taking suitable remedial measures to avoid such situations.

**Explanation:** The period of 12-time blocks shall be counted after ignoring the time blocks in which the frequency is beyond the limits stipulated in item (i) or (ii), as the case may be.

- e) **Consolidated scheduling of all the Entity(ies) at the State/UT periphery:** The injection/drawal schedules of the Entity(ies), other than the distribution licensee, shall be prepared with reference to their respective injection/drawal points in the State/UT and shall, for the purposes like preparation of consolidated schedule for the State/UT as a whole, accounting, computation and recovery of various charges under these regulations etc., be projected to the State/UT periphery by loading applicable transmission and distributed losses of the STU and distribution licensee, as applicable:

Provided that in cases involving sale of energy by the generating stations directly connected to the distribution system of the distribution licensee to the retail consumers of distribution licensee procuring power from such generating stations through intra-State/UT open access without involving STU system under the normal scheme of flows, the transmission losses of the STU shall not be loaded to their respective injection/drawal schedules for projecting the same to the State/UT periphery:

Provided further that the distribution licensee shall give its net schedule w.r.to the STU periphery which shall be projected to the State/UT periphery by loading the transmission losses of the STU:

Provided further that all the charges specified in these regulations shall be levied based on the data at the State/UT periphery.

- f) **Deviation:** For the purpose of Deviation settlement amongst Entity(ies), the SLDC shall work out the "Deviation Pool Accounts" comprising over-drawal/under-drawal and over-injection/under-injection for each Entity(ies) corresponding to each Scheduling period in accordance with the principle that the deviation in a time-block for a Seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a Buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal.
- g) **Settlement Period:** Preparation and settlement of Deviation Pool Accounts shall be undertaken on a weekly basis coinciding with mechanism followed for regional energy accounts. The SLDC shall also prepare and issue detailed statements as per Regulation along with such accounts.
- h) **Measurement Unit for Deviation Pool Account:** The measurement unit for the State/UT Deviation Pool Account for Volume shall be kilowatt hours (kWh) and for Value (payable and receivable) shall be in Indian Rupees (INR). The decimal component of the energy unit (kWh) and amount (INR) shall be rounded off to the nearest integer value. In addition, the interface meters and the state/UT energy account shall capture the reactive energy exchange over interface points, however, the reactive energy pricing framework and compensation for reactive energy exchange shall be dealt with separately.
- i) **Deviation Pool Price Vector:** For the purposes of deviation settlement amongst the Entity(ies), the SLDC shall work out deviation comprising over-drawal/under-drawal and over-injection/ under-injection for each Entity(ies) corresponding to each scheduling period. Charges for Deviation shall be in accordance with these regulations.
- j) **Deviation Volume Limit:** To ensure grid discipline and grid security, conditions for Deviation Volume Limit and consequences of exceeding such Deviation Volume Limit by way of levy of Additional Charges for Deviation as specified under Regulation 10 shall be applicable.
- k) **Premise for allocation of losses:** For the purpose of Deviation Pool accounting, intra-State/UT transmission system losses and distribution losses, as approved by the Commission, shall be applicable to the Entity(ies) using the State/UT network on their actual drawal/injection:

Provided that the State Load Despatch Centre shall maintain account of actual intra-State/UT transmission system loss for each time block and publish a reconciliation statement of 52 weekly average loss vis-à-vis approved loss by the Commission on its website.

**l) Submission of data by generating stations :** Such generating stations as are selling entire saleable energy to the distribution licensee and are not considered as separate Entity(ies) in view of explanation under regulation 4, shall submit their projections/estimates and other online and offline data as may be required by the ALDC so as to enable the ALDC to prepare consolidated schedule of the distribution licensee and also to keep SLDC updated on the information relating to the distribution licensee, including such generating stations.

**m) Procurement of URS in the interest of the State/UT Grid:** In the event of a sudden fall in availability of one or more Entity(ies) by more than 20 MW for any individual Entity(ies), if the concerned the State/UT generator has not already initiated any steps, or is not entitled, to revise his schedule, the SLDC may, in the interest of grid security, procure, under intimation to such Entity(ies), URS from the concerned generating stations for such time blocks as it may feel appropriate duly keeping in view the main objectives that no energy cuts should be imposed in the UTs, as far as possible, and also that the grid parameters must be maintained within the permissible limits:

Provided that the SLDC shall, within 90 days of notification of these regulations, develop an uniform procedure, keeping in view the various possible situations under which URS are to be arranged and also incorporating the broad principles which shall be followed by it while procuring URS for any Entity(ies):

Provided further that in the uniform procedure to be developed by the SLDC, it may also spell out the broad situations under which it may procure URS even for the individual Entity(ies) whose cases fall in availability does not exceed 20 MW:

Provided further that till such time such uniform procedure is evolved, the SLDC shall procure URS only after,

-

- (1) Prior consultation with the concerned Entity in cases where the rate of URS at UTs periphery is equal to or less than 824.04 paise/kWh; and
- (2) Obtaining the consent of concerned Entity in cases where the rate of URS at UTs periphery exceeds 824.04 paise/kWh:

Provided further that while procuring URS on behalf of more than one Entity(ies), the SLDC shall duly indicate the share (quantum and rate) of each such Entity(ies) at the time of such procurement and shall also subsequently reflect the same in the weekly/monthly accounts statement showing the share of each Entity(ies) in the quantum of URS procured by it:

Provided further that the SLDC shall also, apportion, within 5 days from the date of issue of monthly accounts, whether provisional or final or revised, by NRPC for any month, the total energy booked for the UTs amongst concerned Entity(ies) on the aforesaid lines:

Provided further that the distribution licensee, or any other Entity(ies), may also, of its own, procure URS under intimation to the SLDC and in that event the SLDC shall duly apportion such URS to that Entity(ies).

**n) Congestion Charges:** If any, congestion charges are payable/receivable by the SLDC depending upon the real-time behavior of the UTs in line with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real-time operation) Regulations, 2009, the SLDC shall reflect the amount of congestion charges in the weekly accounts statement showing the share of each Entity(ies) on the basis of deviation by each user calculated for each time block:

Provided that the SLDC shall apportion congestion charges within three days from the date of issuance of Congestion Charges Account from NRPC and each Entity(ies) shall pay the amount indicated in the account within 7 (seven) days of issuance of such account by the SLDC. Any delays in payment shall be dealt as per regulation 14.

**o) Downloading/recording of SEMs and timely communication of data to the SLDC:** Meter data downloading/reading of the interface Special Energy Meters (SEMs), or any other meters as appropriate, as required by the SLDC, shall be taken by the authorized officers of the transmission licensee or the distribution licensee, as the case may be, on weekly basis (on every Monday for preceding week (00:00 Hrs. of Monday to 24.00 Hrs. of Sunday) and shall supply the same to the SLDC by Tuesday. Any change in multiplication factor or CT/PT ratio setting shall also be recorded. The downloaded data in the electronic form and hardcopy printout along with a statement of consumption as recorded by the Main, Check SEMs and, in case of the consumers of the distribution licensee, the ToD meter also, duly authenticated by the concerned Sr. Executive



Engineer of the concerned licensees, shall be sent to the SLDC for preparation of Intra State/UT Deviation Settlement account of the Entity(ies):

Provided that in cases where the Entity(ies), other than the transmission licensee/the distribution licensee, expresses its intention to associate itself in the process of downloading/reading of SEMs, the authorized representative of such Entity(ies) shall also be associated in the process:

Provided further that if the representative of the concerned Entity(ies) does not turn up at the scheduled time of downloading/taking such readings of SEMs, the authorised officer of the transmission licensee/the distribution licensee, as the case may be, shall download/take the readings and submit the same to the SLDC under intimation to the concerned Entity(ies):

Provided further that the SLDC may issue, on the need based, detailed instructions in this regard to all the Entity(ies).

#### 7. Declaration, scheduling and elimination of gaming. -

7.1. The provisions of the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations, 2023, and JERC for the UT of J&k and the UT of Ladakh (Connectivity and Open Access in Intra-State/UT Transmission and Distribution) Regulations, in force and other appropriate regulations as may be relevant, as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling, and elimination of gaming.

7.2. The generating stations, as far as possible, shall generate electricity as per the day-ahead generation schedule finalized by the State Load Despatch Centre in accordance with the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations, 2023:

Provided that the revision in the generation schedule on the day of operation shall be permitted, in accordance with the procedure specified under the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State/UT Grid Code) Regulations 2023 as amended from time to time.

7.3. The QCA shall coordinate the aggregation of the schedule of all generators connected to a pooling station or selling power to the distribution licensee and communicate it to the SLDC. The QCA shall undertake all commercial settlements on behalf of the renewable energy generator(s) connected to the respective pooling station(s) or selling power to the distribution licensee.

7.4. The Commission, either suo-motu, or on a petition made by SLDC or any affected party, may initiate proceedings against any Entity(ies) namely the generator, distribution licensee, Open Access consumer etc. on charges of gaming and, if required, may order an inquiry in such manner as decided by the Commission. When the charge of gaming is established in the aforesaid inquiry, the Commission may, without prejudice to any other action under the Act or Regulations made there under, disallow any Charges for Deviation received by such Entity(ies) during the period of such gaming.

#### 8. Charges for Deviations. -

8.1. The Charges for Deviation for all the time-blocks shall be payable for over-drawal by the Buyer and under-injection by the Seller and receivable for under-drawal by the Buyer and over-injection by the Seller, which are Entity(ies), and shall be worked out on the average frequency of a time-block by considering the Price Vector for Deviation Charges as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, as amended from time to time.

8.2. The charges for the Deviations for each time-block, payable for over drawl by the buyer and for under-injection by the seller; and receivable for under-drawl by the buyer and for over-injection by the seller; shall be worked out on the average frequency of that time-block at the rates specified in the Table-1 below as per the provisions specified in these Regulations:

Table 1: Frequency-based Charges for Deviation

Average Frequency of the time block (Hz)		Charges for Deviation (Paise/kWh)
Below	Not Below	
	50.05	0.00
50.05	50.04	1xP/5
50.04	50.03	2xP/5
50.03	50.02	3xP/5
50.02	50.01	4xP/5
50.01	50.00	P
50.00	49.99	50.00+15xP/16
49.99	49.98	100.00+14xP/16
49.98	49.97	150.00+13xP/16

Average Frequency of the time block (Hz)		Charges for Deviation (Paise/kWh)
Below	Not Below	
49.97	49.96	200.00+12xP/16
49.96	49.95	250.00+11xP/16
49.95	49.94	300.00+10xP/16
49.94	49.93	350.00+9xP/16
49.93	49.92	400.00+8xP/16
49.92	49.91	450.00+7xP/16
49.91	49.90	500.00+6xP/16
49.90	49.89	550.00+5xP/16
49.89	49.88	600.00+4xP/16
49.88	49.87	650.00+3xP/16
49.87	49.86	700.00+2xP/16
49.86	49.85	750.00+1xP/16
49.85		800

Where P is the Daily Simple Average Area Clearing Price (SAACP) in paisa per kWh.

Notes: -

- The Deviation Settlement Mechanism (DSM) rate vector will have a dynamic slope determined by joining the identified price points at 50 Hz. (daily simple average ACP), frequency of 49.85 Hz (₹8 per unit) and 50.05 Hz (zero) on a daily basis.
- The maximum ceiling limit applicable for average Daily ACP discovered in the DAM segment of Power Exchange at 50.00 Hz shall be 800 Paise/kWh.
- The formulae have been devised in a manner which ensure that the Charges for deviation for each 0.01 Hz step shall be equivalent to the Slope determined by joining the price at 'Not below 50.05 Hz' and 'identified price at 50.00 Hz' in the frequency range of 50.05-50.00 Hz, and to the Slope determined by joining the 'price identified at 50.00 Hz' and price at 'below 49.85 Hz' in frequency range 'below 50 Hz' to 'below 49.85 Hz'.
- In case of non-availability of daily SAACP due to no-trade on a given day, daily SAACP of the last available day shall be considered for determining the DSM charges as per Table-1.
- Deviation price shall be rounded off to nearest two decimal places.

Provided that, -

- The receivables against the charges for the Deviation for the under drawal by the buyer in a time block in excess of 12% of the schedule shall be zero;
- Provided that in case of distribution licensee, when the absolute value of Schedule in a time block is less than or equal to 300MW, the charges for deviation for the under drawal in excess of 36 MW, shall be zero.” and
- The receivables against the charges for the Deviation for the over-injection by the seller in a time block in excess of 12% of the schedule shall be zero, except in case of injection of infirm power, which shall be governed by the sub-regulations (3) & (4) of this regulation, as the case may be.

**8.3.** The charges for Deviation may be reviewed by the Commission from time to time either suo-moto or on receipt of a comprehensive proposal from SLDC.

**8.4.** In cases where treatment of infirm power has been included in the PPA, or in any other agreement, or the provision for treatment of such power are already provided in any of the regulations, the same shall be governed by such conditions or provisions.

**8.5.** In cases not covered under sub-regulation (3), the infirm power injected into the grid by a generating unit or a generating station during the testing, prior to Commercial Operation Date (COD) of the unit, shall be paid at charges for deviation for infirm power injected into the grid, consequent to testing, for a period not exceeding 6 months, or for extended time allowed by the Commission, subject to a ceiling of cap rate of ₹1.78/kWh sent out in case of hydro/wind/solar/MSW generation.

## **9. Limits on Deviation Volume. -**

**9.1.** The over-drawal/under-drawal of electricity by any buyer during the time block shall not exceed 12% of its scheduled drawal when grid frequency is “49.85 Hz and above” but “below 50.05Hz”:

Provided that no over-drawal of electricity by any buyer shall be permissible when grid frequency is “below 49.85 Hz” and no under-drawal of electricity by any buyer shall be permissible when grid frequency is “50.05 Hz and above”.

**9.2.** The under-injection/over-injection of electricity by a seller during a time- block shall not exceed 12% of the scheduled injection of such seller, when the frequency is “49.85 Hz and above but below 50.05 Hz”:

Provided that no under injection of electricity by a seller shall be permissible when the grid frequency is "below 49.85 Hz" and no over injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is "50.05 Hz and above”:

Provided further that any injection of infirm power by a generating station prior to COD of a unit during testing and commissioning activities shall be exempted from the volume limit

specified above for a period not exceeding 6 months or the extended time allowed by the Commission:

Provided further that any drawal of power by a generating station prior to COD of a unit for the startup activities shall be exempted from the volume limit specified above when grid frequency is "49.85 Hz and above".

**10. Additional charges for crossing Deviation Volume Limits. -**

- 10.1.** In addition to charges for Deviation as stipulated under Regulation 8 of these regulations, additional charges for Deviation shall be applicable for incremental over-drawal as well as under-injection of electricity for each slab in respect of each time block in excess of the volume limit specified in regulation 9 above, when average grid frequency of the time block is "49.85 Hz and above but up to 50.05 Hz" at the rates specified in the Table-2 below.

Table 2: Additional Charges for Deviation beyond the limits on Deviation Volume

Sr. No.	Deviation Volume	Additional Charges
1.	For over drawal of electricity by any buyer in excess of 12% and up to 15% of the schedule in a time block	Equivalent to 20% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
2.	For over drawal of electricity by any buyer in excess of 15 % and up 20% of the schedule in a time block	Equivalent to 40% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
3.	For over drawal of electricity by any buyer in excess of 20 % of the schedule in a time block	Equivalent to 100% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
4.	For under injection of electricity by any seller in excess of 12% and up to 15% of the schedule in a time block	Equivalent to 20% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
5.	For under injection of electricity by any seller in excess of 15% and up to 20% of the schedule in a time block	Equivalent to 40% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
6.	For under injection of electricity by any seller in excess of 20% of the schedule in a time block	Equivalent to 100% of the charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.

Provided that any drawal of power by a generating station prior to the COD of a unit for the startup activities shall be exempted from the levy of additional charges of Deviation.

- 10.2.** In addition to the Charges for Deviation as specified under regulation 8 of these regulations, additional charge for Deviation shall be payable for the over-injection and/or under-drawal of electricity for each time block by a seller and/or buyer, as the case may be, when grid frequency is "50.10 Hz and above" at the rate of 178 paise per kWh.
- 10.3.** In addition to the charges for Deviation as stipulated under regulation 8 of these regulations, an additional charge for Deviation shall be payable for over-drawal and/or under-injection of electricity for each time block by a buyer and/or seller, as the case may be, when grid frequency is "below 49.85 Hz" and the rate for the same shall be equivalent to 100% of the charge for Deviation corresponding to the grid frequency of "below 49.85 Hz" i.e. 824.04 Paise/kWh.

**11. Contravention of the limits and uploading of records on website. -**

- 11.1.** Payment of charges for Deviation under Regulation 8 and the additional charges for Deviation under regulation 10, shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate by the Commission under Section 142 of the Act for contravention of the limits of over-drawal/under drawal, or under-injection/over-injection, as specified in these regulations, for each time block or in case of violation of any other provisions of these regulations.
- 11.2.** The charges for over-drawal/under-injection and under-drawal/over- injection of electricity shall be computed by the SLDC.
- 11.3.** The SLDC shall, on weekly basis prepare and publish on its website, the records of the Deviation Accounts quantifying the over-drawal/ under- injection and over injection/under drawal and corresponding amount of charges for Deviation payable/receivable for each buyer and seller for all the time-blocks when grid frequency was "49.85 Hz and above" and "below 49.85 Hz" separately.

11.4. The SLDC shall also submit quarterly reports to the Commission indicating summary of the grid behavior and discipline maintained by the Entity(ies) along with the details of any significant reportable events and the suggestions, if any, in regard to the matters concerning grid discipline.

**12. Compliance with instructions of State Load Despatch Centre. -**

Notwithstanding anything specified in these regulations, the sellers and the buyers shall strictly follow the instructions of the SLDC on injection and drawal in the interest of grid security and grid discipline.

**13. Treatment of Infirm Power and Start Up Power Prior to COD**

13.1. Any infirm injection of power by a generating station prior to the COD of a unit during testing and commissioning activities shall be exempted from the volume limit as specified in regulation 10 above for a period not exceeding six months or the extended time as may be allowed by the Commission.

13.2. Any drawal of power by a generating station prior to the COD of a unit for the start-up activities shall be exempted from the volume limit as specified in regulation when the grid frequency is "49.85 Hz and above".

13.3. Any drawal of power by a generating station prior to the COD of a unit for the start-up activities shall be exempted from the levy of Additional Charges for Deviation.

**14. Framework for Operationalisation and Monitoring of Deviation Settlement Mechanism**

14.1. The SLDC shall develop and implement the required software and interact with all entities to understand the difficulties or concerns of entities. The SLDC shall implement a mock trial run operation of the DSM software and intimate the results to the Commission, not later than 12 months' period from the implementation of these Regulations. Further SLDC shall submit the progress in this regard after completion of each quarter to the Commission.

14.2. The SLDC shall develop and publish on its website procedure and methodologies for the computation of Charges for Deviation and Additional Charges for Deviation for each entity for crossing the volume limits specified for under-drawal/over-injection and for over-drawal/under-injection respectively.

14.3. The charges for over-drawal/under-injection and under-drawal/over-injection of electricity shall be computed by the SLDC in accordance with the methodology used for preparation of "State/UT Energy Accounts."

14.4. The SLDC shall, on weekly basis, prepare and publish on its website the records of the Deviation Accounts, specifying the quantum of over-drawal/under-injection and the corresponding amount of Charges for Deviation payable/receivable for each Buyer and Seller for all the time-blocks when the grid frequency is "49.85Hz and above" and "below 49.85" Hz separately.

**15. Accounting of Charges for Deviation and Billing. -**

15.1. The SLDC shall prepare the State/UT Energy Accounts on monthly basis. In addition, the SLDC shall, on weekly basis, also -

(i) prepare statements showing the amount payable and receivable, separately for deviation charges under regulation 8 and additional charges for Deviation under regulation 10, by each Entity;

(ii) in case, for any week, the total amount recoverable from the various Entity(ies) separately for deviation charges as per regulation 8 and sub-regulation (1) of regulation 10 falls short of the total amount payable separately in respect of any one or both of the aforesaid two items for the UTs as a whole as per the bill(s) raised by the NRLDC/NRPC, the amount recoverable from each Entity for each of two such items shall be increased in proportion to the amount recoverable from each Entity as per regulation 8 and sub-regulation (1) of regulation 10 so as to cover up such shortfall fully in respect of each of the aforesaid two items;

(iii) reflect other requisite details as it may consider appropriate in such statement;

(iv) devise suitable formats for preparing and reflecting the accounts/ payments detail in a fair and transparent manner; and

(v) the statements of Deviation charges on weekly basis and other details as above, as prepared by it, to all Entities for the seven-day period ending on the previous Sunday mid-night, within 3 days of issuance of bills by the NRLDC/NRPC.

15.2. The SLDC shall also prepare and raise the weekly bills on its Entities, including distribution licensee also for the Deviation charges as well as the additional charges for Deviation, congestion charges, if any, as per clause (n) under regulation 6 and any other charges as due showing appropriate details, including the adjustments on account of shortfall if any as per item (ii) under sub-regulation (1), separately in respect of each of the items such as the charges under regulation 8 and each of the three sub-regulations under regulation 10.

15.3. All payments on account of charges for Deviation including additional charges for Deviation levied under regulations, and interest, if any, received for late payment, shall be credited to the fund called "the State/UT Deviation Pool Account" which shall be opened, maintained and operated by the State Load Despatch Centre in accordance with provisions of these regulations:

Provided that, -

(i) The Commission may, by order, direct any other entity to operate and maintain the "State/UT Deviation Pool Account"; and

- (ii) Separate books of accounts shall be maintained by the SLDC for the principal component and interest component of charges for Deviation and each component of the additional charges for Deviation.
- 15.4.** All payments received in “the State/UT Deviation Pool Account” shall be apportioned on weekly basis in the following sequence, namely: -
- (i) first towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of charges for Deviation.
  - (ii) next towards over dues or penal interest, if applicable.
  - (iii) next towards normal interest.
  - (iv) towards charges for Deviation, additional charges for Deviation and congestion charges.
  - (v) Lastly towards the defaulting amount recoverable by the SLDC from the concerned Entity under sub-regulation (15.4) of regulation 15 in respect of the relevant timeframe starting from the date on which the matter is referred by the distribution licensee to the SLDC.
- 15.5.** The amounts received in “the State/UT Deviation Pool Account” shall be utilized by the SLDC for payment of the consolidated bill(s) for the Deviation charges, the additional charges for Deviation and the congestion charges raised by the NRLDC/NRPC on distribution licensee/ SLDC for the UT as whole and also for making payments to any other UT Entities who may be entitled to the same in accordance with the Statement of Accounts issued under sub-regulation(1):  
Provided that, as provided in regulation 15, the surplus balance, if any, in “the State/UT Deviation Pool Account” shall be retained in the said account and shall be utilized in a manner as may be approved/ directed by the Commission from time to time.
- 15.6.** The amount(s) billed by the NRLDC/NRPC generating stations to the distribution licensee on account of the supply of URS shall be paid by the distribution licensee, who shall, in turn, recover the same from other Entity(ies) to the extent such URS were procured on behalf of such other Entities in accordance with the Statement of Accounts issued by SLDC in accordance with sub-regulation (15.1).
- 15.7.** The bills raised by the distribution licensee as per sub-regulation (6) shall be payable by the concerned Entities within 15 days of issuance of such bills failing which interest shall be payable at the same rate as specified in regulation 15 for late payment:  
Provided that if any of such bill(s) remain unpaid even after expiry of 120 days from the date of raising such bill, the distribution licensee may refer the matter to the SLDC, who shall then recover the same, along with interest for each day starting from the date of expiry of the grace period of 15 days till the date of payment/settlement from the defaulting Entity, by allocating suitable priority under sub-regulation (4) of this regulation, or by operating LC or otherwise and the amount, so recovered, together with interest for late payment starting from the date or which it was originally due, shall be credited to the account of the distribution licensee.
- 16. Special provisions for Open Access Customer who are also retail Consumers of the distribution licensee.**  
In case of the Open Access Customers who are also retail consumers of the distribution licensee, the following special provisions shall be applicable, namely: -
- 16.1.** A consumer who meets part of his requirement through open access and balance through supply of power by the distribution licensee, shall be entitled to draw the total power within its sanctioned contract demand irrespective of its purchase of power through open access. However, where the consumer has revised his contract demand temporarily within the total sanctioned contract demand as per the provisions of the Supply Code and relevant tariff order, he shall be entitled to draw power within such revised contract demand only until he further revises the contract demand. In case the consumer desires to draw power in excess of his sanctioned contract demand, he shall have to get his sanctioned contract demand increased in accordance with the provisions of the Supply Code and other relevant regulations notified by the Commission from time to time;
- 16.2.** Demand charges shall be payable by the consumer on the sanctioned contract demand/revised contract demand irrespective of its purchase of power through open access, to the licensee as per relevant Schedule of the tariff order. The additional charges on the average demand (₹./kVA/month) during peak load hours shall also be payable on the basis of the total consumption during the peak load hours in respect of the billing month irrespective of the quantum of energy availed through open access or otherwise;
- 16.3.** Consumers availing short term open access shall submit the schedule only for drawal of power through open access and no schedule for drawal of power as a normal consumer of distribution licensee shall be required;
- 16.4.** The total recorded drawal by the consumer for the different tariff blocks (i.e. peak, night and normal hours) in the billing month shall be reduced by the total scheduled entitlement for various time blocks in the respective tariff blocks in the billing month as per the schedules under open access arrangement, irrespective of actual drawal by the consumer in the respective time blocks, but subject to the provisions under the succeeding item. The balance energy shall be treated as supplied by the distribution licensee to the consumer as per the relevant tariff order of the Commission. This shall be subject to the condition that if the quantum of such balance energy works out to a negative figure in any time block, the energy supplied by the distribution licensee to the consumer in that time block shall be considered as zero and the remaining unadjusted energy for that time block

shall be adjusted as per the succeeding item. In case the total drawal, including the same under the open access arrangement, exceeds the sanctioned contract demand or the reduced contract demand, as applicable, at any time during the billing period, such over drawal shall be considered as violation of the contract demand in accordance with the provisions of normal schedule of tariff and the contract demand violation charges shall also be charged accordingly in addition to the energy charges as per the schedule of tariff;

- 16.5.** In case of time blocks where the total recorded drawal of the consumer is less than the scheduled entitlement of the consumer in that time block, the SLDC shall account for such under drawal by the consumer in its accounts and compute the amounts payable/ receivable by that consumer under regulations 8 and 10 separately. The payable/ recoverable amounts so worked out by the SLDC shall be payable/recoverable by the consumer directly to/from the SLDC without involving the monthly billing for that consumer under the retail tariff. The distribution licensee shall not make any adjustment on this account in the monthly bills. However, the consumer shall not be entitled to any relief in the demand charges on account of any such under drawal;
- 16.6.** The consumer will, however, continue to be governed by the Supply Code and relevant Schedule of Tariff order approved by the Commission; and
- 16.7.** For the purposes of energy accounting, adjustments and billing, the energy scheduled (computed in kWh), under open access to the consumer of distribution licensee, as projected at the point of supply to that consumer, shall be converted into kVAh by adopting the actual average power factor as recorded in/calculated from special energy meter data for each 15 minutes' time block.

**17. Schedule of Payment of Charges for Deviation. -**

- 17.1.** The payment of charges for Deviation, the additional charges for Deviation, congestion charges or any other charges payable as per the SLDC's statement shall have a high priority and the concerned buyer/seller shall pay the indicated amounts within 7 (Seven) days of the issue of statement of charges for Deviation including additional charges for Deviation by the SLDC into "the State/UT Deviation Pool Account".
- 17.2.** If payments against the charges for Deviation including additional charges for Deviation, congestion charges or any other charges are delayed by more than two days, i.e., beyond Nine (9) days from the date of issue of the bill by the SLDC, the defaulting buyer/seller shall have to pay simple interest @ 0.04% for each day of delay.
- 17.3.** All payments to the buyer/seller entitled to receive any amount on account of charges for Deviation shall be made within 5 working days of receipt of the payments in the "State/UT Deviation Pool Account" beyond which buyer/seller shall also be entitled for simple interest @0.04% for each day of delay:

Provided that, -

- (i) In case of delay in the payment of charges for Deviations into the State/UT Deviation Pool Account and interest, if any, there on, beyond 9 days from the date of issuance of the Bill of charges, the buyer(s)/seller(s) who have to receive payment for Deviation or interest there on shall be paid from the balance available, if any, in the State/UT Deviation Pool Account. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to such buyer(s)/seller(s), the payment from the State/UT Deviation Pool Account shall be made on pro rata basis from the balance available in the Fund referred to the regulation 15; and
- (ii) The liability to pay interest for the delay in payments to "the State/UT Deviation Pool Account" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that buyer/seller who have to receive payments have been paid from the "State/UT Deviation Pool Account" in part or full.
- 17.4.** In case of default in payment of the amount recoverable by the distribution licensee from any other Entities as per regulation 15, the outstanding amount, along with interest shall be recovered by the SLDC from the defaulting Entities as per the provisions of this regulation by treating the same procedure as applicable for the Deviation charges and the additional charges for deviation. For this purpose, the SLDC shall assign priority to this amount on weekly/monthly basis, under sub-regulation (4) of regulation 15, starting from the date on which the matter is referred by the distribution licensee to the SLDC in accordance with these provisions. Such amount shall, on recovery, from the defaulting Entity(ies), be credited to the account of the distribution licensee.
- 17.5.** All buyers/sellers, which had at any time during the previous financial year, failed to make payment of charges for Deviation including additional charges for Deviation within the time specified in these regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly liability for Deviations in the previous financial year, in favor of the SLDC before 14th April of the financial year:

Provided that -

- (i) if any buyer/seller fails to make payment of charges for Deviation including additional charges for Deviation by the time specified in these regulations during the current financial year, it shall be required to increase the amount of LC already opened as per the above provision or open a new LC, as the case may be, for an amount equivalent to 110% of the average weekly liability for the current financial year; and
- (ii) The LC amount shall be increased to 110% of the payable weekly liability for Deviation in any week during the year, if it exceeds the previous LC amount by more than 50%;
- Illustration:** If the average payable weekly liability for Deviation of a buyer/seller during 2018-19 is ₹20 Crore, the buyer/ seller shall open LC for ₹22 Crore in 2019-20. If the weekly payable liability during any week in

2019-20 is ₹35 Crore which is more than 50% of the previous financial year's average payable weekly liability of ₹30 Crore, the buyer/seller shall increase the LC amount to ₹38.5 Crore (1.1\* 35.0) by adding ₹16.5 Crore.

**17.6.** In case of failure to pay into the "State/UT Deviation Pool Account" within the specified time of 9 days from the date of issue of statement of charges for Deviations, the SLDC shall be entitled to encash the LC of the buyer/seller to the extent of the default and the buyer/seller shall recoup the LC amount within 3 days.

**18. Application of fund collected through Deviations. -**

The surplus amount, if any, in the State/UT Deviation Pool Account as on the last days of the months of June and December of each year, or at such other intervals as the Commission may direct from time to time, shall be transferred to a separate fund namely "the State/UT Power Systems Development Fund", which shall be opened, operated and maintained by the SLDC. The fund shall be utilized for the purpose relating to development of power system in the UTs in the manner specified in these regulations or as may be approved/directed by the Commission from time to time:

Provided that the SLDC shall submit half yearly returns to the Commission i.e. on 31st July and 31st January of each year indicating the transactions in the said funds and the proposal, if any, for utilization of the said fund.

**19. Power to Relax. -**

The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

**20. Power to issue directions. -**

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may, on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of these regulations.

**21. Power to amend. -**

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

**22. Power to remove difficulties. -**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

**23. Overriding effect. -**

The provisions of these regulations shall have overridden effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other regulations of the Commission, for the time being in force or in any instrument/detailed procedure having effect by virtue of any such regulations.

**By order of the Commission.**

V.K. DHAR, (JKAS), Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty./783/2023-24]